

## अनुक्रमणिका

1. वार्षिक आम सभा की सूचना	2
2. निदेशको का प्रतिवेदन	3
– अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण	12
– निगमित शासन की रिपोर्ट	14
– लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उत्तर	17
– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	27
– वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.-9)	28
3. वार्षिक लेखा	33
– अंकेक्षित लेखा के साथ टिप्पणियां	

### निदेशक मंडल (07.09.2018)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक	: श्री अविजीत घोष
निदेशक (वित्त)	: श्रीमती अरुन्धती पंडा
निदेशक (कार्मिक)	: श्री मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (विपणन)	: श्री राणा शुभाशीष चक्रवर्ती
निदेशकगण	: श्री विश्वजीत सहाय श्री कृष्ण कुमार सिंह श्री ए. एस. षाडंगी डॉ. (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय श्री एच. एन. रामाकृष्णा
कम्पनी सचिव	: श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	: मेसर्स वी. के. जिन्दल एवं कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	: भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	: प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची-834004 (झारखण्ड)

### वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 59वीं वार्षिक आमसभा शुक्रवार, दिनांक 07.09.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, राँची स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कारोबार के संपादन के लिए होगी :

#### साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शेयरधारकों हेतु निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त करना, विचार और स्वीकार करना।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

दिनांक : 23.07.2018

बोर्ड के आदेशानुसार



(अभय कुमार कंठ)  
कम्पनी सचिव

**टिप्पणी** : सभा में उपस्थित होने तथा मत देने के आधिकारिक कंपनी सदस्य अपने बदले में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं और उक्त प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

## निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,  
शेयरधारकों  
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### देवियों एवं सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने 59 साल पूरे कर लिए हैं और कंपनी के निदेशक मंडल को आपके समक्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 59वीं वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेखा के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

### 1. प्रदर्शन के मुख्य बिन्दु :

गंभीर आर्थिक मंदी ने पूंजीगत माल (कैपिटल गुड्स) के क्षेत्र में सक्रिय उद्योगों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। इसके अलावा, गंभीर कार्यशील पूंजी की समस्या के साथ पुरानी मशीनों ने कंपनी के प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण वर्ष के दौरान टर्नओवर लक्ष्य से कम रहा है।

हालांकि, समीप से की गयी निगरानी ने वर्ष के दौरान कंपनी की बिक्री वृद्धि करने में मदद की जो गत वर्ष के दौरान 390.11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान 399.02 करोड़ था।

### 2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए उत्पादन एवं कारोबार के आंकड़े एवं एम.ओ.यू. लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु. में)

विवरण	2017-18		2016-17	
	एम.ओ.यू.	वास्तविक	एम.ओ.यू.	वास्तविक
कारोबार	695.00	399.02	604.01	390.11
उत्पादन	704.15	393.37	610.01	364.84

### 3. वित्तीय परिणाम

लक्ष्य और पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2017-18		2016-17	
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक
सकल मुनाफा	2.69	-63.95	-53.92	-43.83
ब्याज	26.72	26.70	31.94	32.44

मूल्यहास	8.10	7.03	7.68	6.47
आपवादिक मद व्यय(+)/आय(-)	0.00	14.26	0.00	-0.47
असाधारण मद से पूर्व मुनाफा	-32.12	-111.94	-93.54	-82.27
असाधारण मद आय(+)/व्यय(-)	0.00	621.02	0.00	0.00
कर पूर्व मुनाफा	-32.12	509.09	-93.54	-82.27
कर	0.00	63.09	0.00	0.00
शुद्ध लाभ	-32.12	446.00	-93.54	-82.27
नकद लाभ (असाधारण मदों के बाद)	-24.03	438.97	-85.86	-75.80

31.03.2018 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 606.07 करोड़ रुपये था, जबकि नेट वर्थ रु. 109.80 करोड़ पर पहुँचा।

वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र और राज्य कोष को 93.13 करोड़ रुपये का योगदान किया जबकि पिछले वर्ष यह 65.93 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2008-09 के बाद से कारोबार, उत्पादन, कर्मचारी उत्पादकता एवं लाभ का विवरण निम्नवत है। :

वर्ष	कुल कारोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2008-09	417.39	419.47	14.55	18.37
2009-10	496.56	537.72	17.30	44.27
2010-11	640.90	700.55	23.14	38.14
2011-12	681.61	687.74	28.35	8.58
2012-13	682.83	676.77	28.58	20.38
2013-14	384.02	447.71	18.88	299.31
2014-15	361.58	319.58	20.61	(-) 241.68
2015-16	374.48	340.68	24.19	(-) 144.77
2016-17	390.11	364.84	26.81	(-) 82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00

## लाभांश की गैर घोषणा

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कर पश्चात लाभ 446 करोड़ रुपये है एवं दिनांक 31.03.2018 को नेटवर्थ 109.80 करोड़ रु. है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा ओ.एम. नं. 5.2.2016 नीति दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार केंद्रीय लोक उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का 30% या नेटवर्थ का 5% जो भी उच्च है, का भुगतान करना होता है। तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी लाभांश भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

## 4. विपणन गतिविधियाँ :

पूँजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) के मंद माँग होने से, मुख्य क्षेत्र के उत्पाद का आर्डर परिदृश्य कमजोर हो रहा है, जिससे कंपनी पिछले वर्ष 2016-17 के आर्डर मूल्य 245.83 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2017-18 के दौरान 158.77 करोड़ का आर्डर सुरक्षित कर पायी।

हालांकि, आने वाले वर्ष में 6 ड्रेगलाइन्स के लिए निविदा प्रत्याशित है और उसी प्रकार से अन्य मुख्य क्षेत्र में भी भारी उपकरणों की माँग निविदा रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है।

कंपनी नए व्यापार क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रयास करते आ रही है। जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी रेलवे ट्रैक उपयोगिता वाहन उपकरणों के अनुभाग के एक उत्पाद हेतु रख-रखाव के लिए रु. 17 करोड़ का आर्डर प्राप्त किया गया। ऐसा पहला आर्डर होने के नाते HEC, मेसर्स CASCADE Technologies, Russia के सहायोग से अपने सकल निष्पादन कि ओर अग्रसर है। इसके अलावे कंपनी CBC Coupler में लालगुदाम, हरनौत और गोरखपुर रेलवे वर्कशॉप में 500 कोच के नविनीकरण के लिए रेलवे विभाग से आर्डर प्राप्त की है।

हाल ही में कंपनी सफलतापूर्वक विशेष फोर्जिंग का आर्डर का निष्पादन कि है और ग्राहक उत्पादन के गुणवता एवं प्रतिपादन के संबंध में अपनी संतुष्टी दिखायी है। कंपनी आगे से समरूप उत्पाद के आदेश के लिए प्रत्याशित है।

## आर्डर :

- 31.03.2018 को 994.88 करोड़ का आर्डर है।

## व्यावसायिक विकास की पहल:

- कंपनी ने परमाणु एवं रणनीतिक क्षेत्र पर बल दिया है। अन्य संभावित क्षेत्र में प्रयास लिया गया है, जहाँ एच.ई.सी. की सुविधा का प्रयोग स्वदेशीकरण साथ ही साथ मेक इन इन्डिया कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है।

दो Russian फर्म CNIITMASH और OKBM जो की परमाणु शक्ति संयंत्रों के घटक एवं उपकरणों के निर्माण में सहयोग करेंगे के साथ संवाद स्थापित कर और समझौता कर एच.ई.सी. ने परमाणु क्षेत्र में शुरूआती मील का पत्थर प्राप्त किया है।

पहले कम्पनी ने उद्योग-संस्थान इंटरफेस द्वारा सहायता प्राप्त कर संगठन की डिजाइन ताकत बढ़ाने के लिए कदम लिया था।

रक्षा क्षेत्र में एच.ई.सी. एवं M/s Mazagin Dock Ltd. के बीच वार्तालाप हो रहा है एवं दोनों मिलकर भारतीय नौसेना के युद्धपोतो हेतु प्रोपेलर थापट की स्वदेशी निर्माण के लिए लगे हुए हैं।

एचईसी द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना	प्रगति	टिप्पणी
1	कृष्णाशिला कोल हैण्डलिंग कारखाना परियोजना / एन.सी.एल.	83%	
2	5 एम.टी.पी.ए. एन. एल. डब्लू कोल वाशरी परियोजना / बीसीसीएल	61%	
3	टीसीएस, एम.आई.ओ.एम. परियोजना / आर.एम.डी / सेल	80%	
4	ओर हैण्डलिंग प्लांट पैकेज-डी.ई.ओ. / बी.एम. पी. / सेल	98%	फरवीर 2018 में FAC के लिए आवेदित पीजी सर्टिफिकेट नवम्बर 17 में प्राप्त किया गया
5	न्यू कोल हैण्डलिंग प्लांट परियोजना पैकेज-062/ बी.एस.पी. / सेल		एस.सी.आर. 5 एवं 6 के लिए PAC III मार्च 2018 में नया कन्वेयर प्राप्त किया गया।

## अनुसंधान एवं उत्पाद विकास की गतिविधियाँ :

ग्राहक आवश्यकता के आधार पर कंपनी द्वारा निविदा जाँच एवं आर्डर के आधार पर एवं भविष्य बाजार के मौजूदा उत्पाद को केन्द्रित करने हेतु विकास कार्य किया गया है। 2017-18 की अवधि के दौरान किए गए विकास कार्य के तहत है।

- रणनीतिक क्षेत्र के लिए विशेष फोर्जिंग
- EOT क्रेन क्षमता (40+40) टन के लिए प्रचालक केबिन में बदलाव, RSP
- राउरकेला के लिए 30.5 मिटर स्पैन का निष्पादन किया जा रहा है, जहाँ केबिन ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार क्रेन के गर्डर के बीच में स्थित/इक्वटा होता है।
- 450+100/20 टन के लिए 450 टन के लोड परिक्षण के लिए एवं बोकारो स्टील लिमिटेड में 450+100/16T लेडल क्रेन के लिए क्रेडल डिजाइन किया गया।
- आवश्यकता अंकुड़ा प्रवेश प्राप्ति एवं BSP भिलाई के सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के लिए उचित रोप स्खलन हेतु क्रेन के 120+50 टन एवं 120+50/25 टन मुख्य ट्रॉली नए तरीके से बदला गया।
- विनिर्मल समय को कम करने एवं सफलतापूर्वक समाप्ति निर्माण एवं NCL को आपूर्ति हेतु 20/90 मोडल ड्रैगलाइन का तेज हेड चरखा का कास्ट डिजाइन से दूसरे निर्माण रचना हेतु बदलाव किया गया।
- भविष्य की बाजार को माँग को पूरा करने के लिए नए माडल के 400 KW के डिजल इंजन द्वारा 5 क्यूबिक क्षमता शक्ति के हाइड्रोलिक एक्सवेटर खुदाई के प्रोटोटाइप माडल निष्पादन करने के तहत इनहाउस डिजाइन एवं विकसित किया गया।
- ग्राहक के भविष्य आवश्यकता के अनुसार 10 घन मीटर रॉप शावल के प्रोपेल ड्राइव सिस्टम के लिए व्यक्तिगत ब्रेक ड्राइव विकसित करने के लिए योजना के शुरुआत हुई।

## 5. सतत विकास की पहल

आधुनिकीकरण योजना और कारोबार का पुनर्गठन :

एक परामर्शदाता की सहायता से तैयार किए गए तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित आधुनिकीकरण योजना में शामिल नई सुविधाएं, मौजूदा सुविधाओं का नवीकरण, निगरानी एवं नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करना। इस योजना के रूप में कास्टिंग, फोर्जिंग, फेब्रिकेशन एवं मशीनिंग के साथ ही समर्पित मशीन/सुविधाओं में प्रमुख

ताकत को बढ़ाने की योजना है। जिसके बदले में रक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में कारोबार हासिल करने में मदद मिलेगी जिन्हें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट/प्रोजेक्ट एवं माइनिंग इक्विपमेंट्स तथा स्टील सेक्टर के कारोबार में इसके शेयर को बढ़ाने के अतिरिक्त प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हाँलाकि, इसी बीच कंपनी के आन्तरिक साधनों से CNCUTB का नविनीकरण, 2 आग भठी का LPG में स्थानतरण, एक संरचना का मरम्मती किया गया है।

## 6. एम.एस.एम.ई. से खरीद

एमएसएमई, एनएसआइसी एवं एसएसआई फर्म से पिछले 4 वर्षों के 24% बढ़त से खरीद हुई है।

## 7. डिजिटल पेमेन्ट प्रमोशन :

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल कि सफलता के लिए बीएचआईएम क्यूआर कोड को लागू किया गया है और Bharat QR कोड का स्थिर मुद्रण भी प्राप्त भुगतान रसीद पर प्रदर्शित होता है ताकि ग्राहक स्केन और भुगतान कर सके। भुगतान रसीद को सक्षम करने के लिए पीओएस मशीन स्थापित की गई है।

## 8. सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी, पेशेवर सुरक्षा और कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देती है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से संपूर्ण चिकित्सा जांच संचालित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मे, सुरक्षात्मक कपड़े, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जूते आदि दिए जाते हैं। सभी इकाइयों में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और एचईसी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कंपनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती है इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीचे वर्णित सभी सावधानियां करती जाती है।

- वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत निर्धारित सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन।



- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चल रहे संचालन सहमति प्राप्त करना और निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना।
- प्रदूषक के लिए नियमित रूप से जल प्रवाह नमूनों का परीक्षण, जिसके आधार पर अंतर्देशीय (इनलैंड) निकाय को जल निकालने के लिए सहमति दी गई है।
- वायु उत्सर्जन के लिए सहमति देने से पहले वायु प्रदूषण की सीमा का पता लगाने के लिए नियमित रूप से वायु परीक्षण किया जाता है।
- एचईसी क्षेत्र को हरा भरा रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक के संबंध में कंपनी को ओएचएसएस 18001-2007 प्राप्त हुआ है।

### 9. कार्यबल की स्थिति

31 मार्च 2018 को कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 1388 है जबकि 31 मार्च 2017 को यह 1455 थी। वर्ष के 2017-18 में कंपनी में 56 अधिकारियों को नियुक्त किया है।

### 10. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंधों का माहौल आमतौर पर सामान्य रहा।

### 11. कर्मचारी कल्याण

स्थायी कर्मचारियों के लिए कंपनी के पास अपना टाउनशिप, प्लांट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है। ठेका श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसके लिए कंपनी द्वारा सदस्यता शुल्क संबंधित ठेकेदारों को दिया जाता है। एचईसी प्लांट हॉस्पिटल में ओपीडी और इनडोर सुविधाओं के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

### 12. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को बहुत महत्व देती है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों जैसे चाणक्या बिजनेस सिमुलेशन (AIMA) सिक्स सिग्मा आचरण विकास, नेतृत्व गुणों का विकास, सुपरवाइजरी कौशल का विकास, सहकर्मियों का विकास, फाउंड्री ऐंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में उभरती हुई प्रौद्योगिकी आदि के आयोजन के माध्यम से दक्षता के विकास पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को उनके बहुकौशल गुणों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

कंपनी कर्मचारियों के बच्चों तथा आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य बच्चों के लिए स्कूल चला रही है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा एचईसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एचटीआई) संचालित किया जा रहा है जहां छात्रों को दो वर्ष का टेक्निकल कोर्स कराया जाता है और आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को 1 वर्ष की अप्रेंटिस प्रशिक्षण कक्षाएं/कोर्स की सुविधा प्रदान की जाती है। कंपनी स्थानीय बालिकाओं के लिए एचईसी हॉस्पिटल में जीएनएम कोर्स की सुविधा भी प्रदान करती है।

### 13. सी.ई.एफ.एस. फाउंडेशन

एचईसी भारत में रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, इस्पात एयरो स्कोप एवं अन्य मुख्य क्षेत्रों में भारी अभियंत्रण उद्योग के महत्वपूर्ण घटक एवं निर्माण के लिए CNIITMASH, रूसी संघ के राज्य शोध संस्था के साथ करार किया है। जहाँ CEFC कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में विकास के कार्य में सहयोग हेतु एवं बहुत से आवेदन उन्मुख फोर्स प्रदान कराती है।

सीईफसी प्रथम फाउंडेशन मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रदान करना है जो भारतीय पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कौशल अंतर को संबोधित करने के उद्देश्य से उद्योग के इंजीनियरों एवं अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

- निर्माण प्रयोजनों के लिए इस्पात गलन एवं माध्यमिक परिष्करण।
- इस्पात अंगूठी कास्टिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- कोरा फॉर्जिंग एवं मुद्रांकन प्रौद्योगिकी तथा उपकरण।
- कास्ट उत्पादों के लिए फाउंड्री प्रौद्योगिकी।
- इस्पात के लिए ताप उपचार प्रौद्योगिकी एवं उपर्युक्त ताप उपचार चक्र का चयन।
- विद्युत लावा पुनर्गलन प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- वेल्डिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- गुणवत्ता मूल्यांकन प्रौद्योगिकी एवं विनाशकारी एवं गैरविनाशकारी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मापदंड।
- गियर ड्रेनो कि रचना एवं निर्माण प्रौद्योगिकी।

सी.ई.एफ.सी. प्रथम फाउंडेशन द्वारा पेश किए गए इन पाठ्यक्रमों का वैज्ञानिकों एवं CNIITMASH के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय उद्योग के अत्यधिक अनुभवी डोमेन विशेषज्ञों के साथ-साथ भारत के प्रमुख संस्थान के संकाय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी रॉची से समर्थित है। CNIITMASH के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इन पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य प्रशिक्षक होंगे।

“वेल्लिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण” पर पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 06 जून 2018 को लान्च किया गया है। निपट, राँची ने इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए कक्षा कक्ष एवं संबद्ध सुविधाएँ प्रदान कराकर इस पहल में सीइफसी का समर्थन किया है।

#### 14. एचइसी में अपरेंटिस एक्ट 1961 (समय-समय पर संशोधित) के तहत निम्नलिखित योजनाओं लागू हो रहे हैं।

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

उपर्युक्त योजनाओं में डिग्री, डिप्लोमा, आई.टी.आई. और मैट्रिक अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों/व्यापारों में कक्षा/कार्यशाला/इन-प्लांट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के तहत पदों की संख्या है :

सीटीएस	109
एटीएस	183
एनटीएस	169
<b>कुल</b>	<b>461</b>

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एचइसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त संख्या उस अधिनियम की आवश्यकता का अनुपालन करती है। हालांकि अधिनियम/योजनाओं के प्रावधानों में कोई भी संवर्धन हमेशा हमारे द्वारा लागू की जायेगी।

उपर्युक्त के अलावे अन्य प्रशिक्षणों (कार्य/नौकरी प्रशिक्षण के साथ-साथ) कौशल विकास मिशन प्रेरणा के साथ आयोजित किए जा रहे हैं।

#### 15. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति

- i. 31.03.2018 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 305 और 286 थी।
- ii. कुल कर्मचारियों की तुलना में एससी तथा एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 21.97% और 20.60% था।
- iii. वर्ष 2017-2018 के दौरान की गई 56 नियुक्तियों में से, 13 उम्मीदवार एससी और 2 उम्मीदवार एसटी समुदाय के थे।

#### 16. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देशों के तहत आपकी पूरी कंपनी में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में बढ़ावा देता है।

वर्ष के दौरान आधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए।

- कर्मचारियों को एक व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित तथा प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में, सर्कुलर या तो हिन्दी भाषा में जारी किए गए या फिर द्विभाषीक।
- हिन्दी भाषा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों /समारोहों का आयोजन हिन्दी में किया गया।

राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, भाषण, कविताएं, नोट करना, मसौदा तैयार करना, टाइपिंग के साथ ही हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा शील्ड आदि का आयोजन किया गया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिया गया।

#### 17. एचइसी दिवस उत्सव

एचइसी दिवस 15 नवम्बर को पूरे धूम-धाम से मनाया गया। एचइसी के पुनर्स्थापना के लिए जुलुस सी.एम. डी., एचइसी के नेतृत्व में शहीद मैदान से मैत्री मार्ग तक आयोजित किया गया था एवं जुलुस में बड़ी संख्या में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, (पति/पत्नी), परिवार, अनुबंध कर्मचारी, महिला समिति के सदस्य एचइसी के यूनियन नेता, एचइसी परिसर के स्थिति विद्यालयों के विद्यार्थी एवं कर्मचारी ने भाग लिया था।

बाद में संध्या एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें माननीय मंत्री (राज्य), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, बाबुलाल सुप्रियो ने इस अवसर को सुशोभित किया। माननीय मंत्री द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल का एक अर्द्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने एचइसी में “किल्कर स्मार्ट चिल्ड्रेन पार्क” का भी उदघाटन किया था।

#### 18. सार्वजनिक क्षेत्र सप्ताह

भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को दर्शाने के लिए, सार्वजनिक उद्यमों

के स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई) ने हर साल 10 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र दिवस मनाने की शुरुआत की। इसी उद्देश्य के आधार पर, वर्ष 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र दिवस (10 अप्रैल) और सार्वजनिक क्षेत्र सप्ताह (10 से 15 अप्रैल 2017) का आयोजन एचईसी में किया गया जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों तथा स्कूली बच्चों ने स्किट, कविता, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्हें सीएमडी द्वारा सम्मानित किया गया।

### 19. विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव

5 जून 2017 को 43वें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एचबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचईसी प्रशिक्षण संस्थान, एचईसी प्लांट अस्पताल और टाउनशीप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहाँ सीएमडी, प्लांट मुख्य एवं अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगा कर एचईसी पर्यावरण में हरियाली बढ़ायी।

### 20. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस/सप्ताह मनाया गया

21 जून 2017 को प्लांट एवं जे एन क्लब, सेक्टर-3, धुर्वा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

### 21. स्वच्छ भारत मिशन

एचईसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए 15.09.2017 से 02.10.2017 (स्वच्छता ही सेवा) एवं 16.12.2017 से 31.12.2017 (स्वच्छता पखवाड़ा) एचईसी के विभिन्न प्लांटों/डिवीजनों एवं एचईसी टाउनशीप विद्यालयों, आसपास के गाँव में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें सभी कर्मचारी/ठेका कर्मचारी शामिल थे। इस गतिविधि के तहत एचईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- सभी कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों ने स्वच्छ भारत की शपथ ली। सभी ने स्वयं अपने कार्यस्थल तथा आस-पास के स्थानों की सफाई की।
- प्लांट स्तर पर प्रत्येक प्लांट में सफाई के रखरखाव के लिए सर्वश्रेष्ठ शॉप पर आधारित इंटर-शॉप/डिपार्टमेंट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएमडी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
- इस अभियान में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली एवं

बैनर लगी वाहन एचईसी टाउनशीप एवं आस-पास के क्षेत्रों में घुमी थी जिससे स्वच्छता संबंधी संदेश बड़े पैमाने पर जनता को दिया गया। कर्मचारियों एवं टाउनशीप के निवासी तथा आस-पास के गाँव में बढ़ती स्वच्छता संबंधी जागरूकता के प्रसार के लिए कर्मचारियों द्वारा नुककड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके अलावे कारखाना, विभाग के कर्मचारी एवं स्कूली बच्चों के परिवार को उनके कार्यस्थल, दुकानों के आस-पास इमारतों को साफ करने के लिए एकत्रित किया गया।

- कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों तथा स्कूली बच्चों ने स्किट, कविता, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्हें सीएमडी द्वारा सम्मानित किया गया।

### 22. राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का प्रेक्षण

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 15 फरवरी 2018 तक मनाया गया था। इसी दौरान उत्पादकता सुधार समिति को वर्ष (2018-19) के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु संयंत्र स्तर पर स्थापित किया गया था।

आगे, इस सप्ताह के दौरान निबंध, चित्रकला एवं नारा प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न प्लांट विभागों में किया गया था। विजेताओं को सीएमडी 17 फरवरी 2018 को विदाई समारोह के दौरान सम्मानित किए थे।

### 23. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 को सभी कर्मचारियों/अनुबंध श्रमिकों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर "उद्योगों एवं समाज की प्रगति में महिला की भूमिका" विषय पर एक डिबेट/भाषण प्रतियोगिता आयोजित कि गई थी।

### 24. वृक्षारोपण अभियान

एचएमबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचईसी प्रशिक्षण केंद्र, एचईसी प्लांट हॉस्पिटल और टाउनशीप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहां सीएमडी, डायरेक्टर, प्लांट हेड तथा अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगाए और एचईसी के हरित वातावरण में और हरियाली बढ़ाने में योगदान दिया।

### 25. एचईसी स्पोर्ट्स मेगा इवेंट

कर्मचारियों के बीच खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए 22 जनवरी 2018 को जे एन स्टेडियम, सेक्टर-3 में एक मेगा स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों तथा बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्हें सीएमडी के द्वारा पुरस्कृत किया गया।

## 26. सहायक उद्योगों और लघु उद्योग इकाइयों का विकास

अपने सामाजिक दायित्व के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ ही व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन हेतु रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के समीप एक सहायक क्षेत्र का विकास किया है।

आपसी सहयोग तथा एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में प्रवेश की विभिन्न गुंजाइशों का पता लगाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई यूनिट्स) के साथ नियमित रूप से बातचीत का आयोजन किया गया।

## 27. कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही

खराब वित्तीय हालात के बावजूद कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा जैसे (1) नर्सिंग स्कूल का संचालन (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन और (3) अपने अस्पतालों के सहयोग से चिकित्सा शिविरों का आयोजन। 2017-18 के दौरान एचईसी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :

- निःशुल्क नेत्रहीनता राहत शिविर जहां भर्ती कराए गए 659 मरीजों में से 150 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इनमें ज्यादातर मरीज बीपीएल परिवार के थे।
- नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन।
- दिसंबर 2017 में आयु फाउंडेशन, रांची के सहयोग से निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया जहां शिविर में कुल 40 लोग लाभान्वित हुए।
- नियमित अंतराल पर टीकाकरण कार्यक्रम।
- सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम "आपके घर के पास अस्पताल" की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सीनियर नर्सिंग स्टाफ तथा चिकित्सकों ने एचईसी टाउनशिप के सैटेलाइट गांव में घर-घर का दौरा किया और ग्रामीणों को स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी सुझाव दिए, खासतौर पर महिलाओं को और जरूरत के अनुसार उन्हें उपलब्ध दवाइयों प्रदान की गईं। जिन गांवों का दौरा किया गया उनके नाम हैं : जगन्नाथपुर, कुटे, तिरिल, नयासराय, पुदांग, सिथिया, हटिया, तुपुदाना, डुंगरी, टोंको, सतरंजी, बाल्सरिंग, बरमाड और जोजोसरिंग (14 गांव)।

- निःशुल्क ऑर्थोपेडिक शिविर का आयोजन किया गया जहां 105 मरीजों का पंजीकरण एवं इलाज किया गया। इनमें से ज्यादातर मरीज बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाले थे।

## 28. सतर्कता गतिविधियाँ :

एचईसी, मुख्यालय का सतर्कता संगठन का समग्र प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण नियमित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संचालित है। सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता के मामले में चौकस करने हेतु समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है।

पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए कर्मचारियों के बीच में केन्द्रिय सतर्कता आयोग के विभिन्न दिशा-निर्देश/प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया एवं भ्रष्टाचार निवारण में उनकी भूमिका बताकर जागरूकता पैदा की गई। सतर्कता अधिकारियों ने एचईसी के वरीय कार्यपालकों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य एवं कार्य में पारदर्शिता लाने एवं सकारात्मक सोच में विकास के लिए पारस्परिक वार्तायें की हैं।

समय पर शिकायत एवं जाँच के निष्पादन के प्रयास किया गया है, इसमें बहुत प्राप्त शिकायत का निरीक्षण किया गया था एवं उस पर उचित करवाई की अनुशंसा की गई। इसके अलावे अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक सम्पत्ती ब्यौरा की जाँच किया गया था।

एक पत्रिका "स्पार्क-5" जिसमें सी.वी.सी. के नवीनतम दिशानिर्देशों एवं अन्य विजिलेंस संबंधी आलेखों से समाहित तैयार किया गया और इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के अवसर पर निगम के सभी अधिकारियों के बीच वितरित किया गया। कम्पनी के बेबसाइट पर विजिलेंस पोर्टल नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सीवीसी दिशानिर्देश के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधित जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए निबंध। क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया।

सतर्कता विभाग शिकायत एवं निरीक्षण निष्पादन आधारित व्यवस्था में सुधार के उपाय के सुझाव दिए।

## 29. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटान:

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और समय पर मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी गई है।

### 30. गुणवत्ता का आश्वासन

आपकी कंपनी कभी भी निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है, इसे ध्यान में रखते हुए तीन संयंत्रों (प्लांट्स) के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को केंद्रीकृत कर दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय मानकों और आईएसओ 14001-2004 के अनुसार उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

### 31. एनर्जी ऑडिट (ऊर्जा अंकेक्षण) :

जैसा कि फाउंड्री फोर्ज यूनिट मुख्य ऊर्जा खपत यूनिट है, एक बाहरी एजेंसी मेसर्स एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईईपीएल) के सहयोग से इस यूनिट का एनर्जी ऑडिट किया गया। फंड की कमी के कारण, सुझावों को प्राथमिकता दी गई और निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की गई:

1. 2 एचटी ट्रांसफॉर्मर के ओवरहालिंग का काम पूरा कर लिया गया।
2. रूक रूक की स्विचिंग बंद करने के लिए कम्प्रेसर के ऑपरेटिंग सिस्टम में संशोधन का काम पूरा किया गया।
3. वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्रिवाइस द्वारा ईओटी क्रेन के एमजी सेट का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) चरणों में किया जा रहा है।

भारत सरकार को आधुनिकीकरण की योजना सौंप दी गई जिसमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों के साथ पुराने उपकरणों का प्रतिस्थापन शामिल है।

### 32. अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेशन : ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत, कंपनियों के आर एंड डी, तकनीकी समावेश, अनुकूलन और नवोन्वेशन के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के संबंध में आवश्यक ब्यौरे को अनुलग्नक - अ में प्रस्तुत किया गया है।

### 33. निदेशकों का जिम्मेदारी वक्तव्य

अ. वार्षिक लेखा की तैयारी में, माल को भेजने के संबंध में लागू लेखा मानकों का उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया।

ब. निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाये जो उचित और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी को हुए लाभ और हानि के प्रति निष्पक्ष राय दी जा सके।

स. निदेशक मंडल ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों (अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स) के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।

घ. निदेशकों ने विकासमान करोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था; और

ड. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली (सिस्टम) तैयार किया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

### 34. विदेशी विनिमय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 32.40 करोड़ रुपए था।

### 35. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगम संचालन)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट अनुलग्नक-ब में दिया गया है।

### 36. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वी के जिंदल एंड कंपनी को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

### 37. सी एंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और उसपर प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत कंपनी के खातों पर सी एंड एजी की टिप्पणी, सी एंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी कंपनी के खातों की समीक्षा के साथ प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ टिप्पणियों को अनुलग्नक-स में दर्शाया गया है।

38. कम्पनी अधिनियम 2013 के द्वारा 92 के तहत वित्तीय वर्ष समाप्ती 31 मार्च 2018 के लिए वार्षिक विवरण का अद्यतन (फार्म MGT-9) एनेक्सर डी पर है।

### 39. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान सीएमडी के साथ तीन कार्यकारी निदेशक दो अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं चार अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल थे।

श्रीमती अरुन्धती पांडा निदेशक (वित्त), श्री मृदुल कुमार सक्सेना निदेशक (कार्मिक) 27.12.2017 को नियुक्त किए गए एवं श्री राणा एस. चक्रवर्ती निदेशक (विपणन) 17.01.2018 को नियुक्त किए गए।

श्री आर. सी. सेन, निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार ने दिनांक 27.12.2017 को एचईसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार से पद त्याग किये।

### 40. अंकेक्षण (लेखा परीक्षा) समिति

बोर्ड ने 6 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया। समिति में स्वतंत्र निदेशक श्री अरधेन्दू शेखर षाडंगी को समिति के अध्यक्ष के रूप में एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री सिया शरण, सीसीए/डीएचआई, स्वतंत्र निदेशकगण, श्री के. के. सिंह और डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय अंकेक्षण समिति के अन्य सदस्य के रूप में हैं। कंपनी के निदेशक (वित्त) अंकेक्षण समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

### 41. व्यवसाय विकास समिति

बोर्ड ने 6 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में नए कारोबारी अवसरों की तलाश करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें एचईसी प्रवेश कर सकती है।

समिति में शामिल हैं श्री एच. एन. रामाकृष्णा, जो 30 जून 2017 के प्रभाव से समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साथ इसके सदस्य के रूप में श्री अरधेन्दु शेखर षाडंगी और श्री

अविजित घोष हैं। श्री के सूत्रधार, चीफ, कॉर्पोरेट मार्केटिंग ने सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया।

### 42. अभिस्वीकृति (धन्यवाद ज्ञापन)

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन का कृतज्ञता से आभार मानता है।

बोर्ड भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का इस कंपनी के पुनरुद्धार में उनके निरंतर समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड झारखण्ड सरकार को कंपनी के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में उनके हर प्रकार के समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

बोर्ड अपने अभिलेख में अपने सभी हितधारकों से मिले उनके निरंतर सहयोग की सराहना करना चाहती है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक वित्तीय संस्थान, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल हैं।

बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने इस कंपनी को लाभ और विकास का एक और साल प्रदान करने हेतु बहुत ही ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से



(अविजित घोष)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

## अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण

### I. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

ज्यादातर उत्पाद तदनुकूल हैं जैसे कि कंपनी की आर एंड डी गतिविधियां ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप मिले ऑर्डर के आधार पर उत्पाद विकास तक सीमित हैं। मौजूदा उत्पाद पर विकास संबंधी कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

- 65 + 65 टन क्षमता के अर्ध पोर्टल क्रेन के ट्रॉली में संशोधन, क्रेन की कुल ऊंचाई को 350 मिमी से कम करने के लिए 14 मीटर स्पैन किया जा रहा है।
- भिलाई स्टील प्लांट में 300 टन लैंडल क्रेन के लोड टेस्टिंग के लिए क्रैंडल तैयार किया गया।
- 150. 30 टन क्रेन के लिए साइट की आवश्यकता के अनुरूप सहायक ट्रॉली फेस्टन व्यवस्था तैयार किया गया जिसमें नये स्लैंग यार्ड डीएसपी क्रेन के लिए 23.775 मीटर का स्पैन है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 5 सीयूएम (4.5 से 6 सीयूएम) बकेट क्षमता के साथ माइनिंग एप्लिकेशन के लिए अत्याधुनिक डिजाइन युक्त हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं, जो 400 किलोवाट डीजल इंजन (इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित) द्वारा समर्थित, 11 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक खुदाई कर सकता है, खुदाई की पहुंच 10.5 मीटर है, खुदाई की गहराई 2.2 मीटर है, 8.5 मीटर ऊंचाई तक डंपिंग कर सकता है, अधिकतम क्राउड फोर्स 420 केएन, ब्रेकआउट फोर्स 490 केएन है। तीव्र प्रतिक्रिया और न्यूनतम रखरखाव के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित हाइड्रोलिक सिस्टम की परिकल्पना की गई है। ऑपरेटर को ज्यादा आरामदायक स्थिति प्रदान करने के साथ ही उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो, इसे ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर केबिन को विशाल और सुसज्जित बनाया गया है।

### II. आयात प्रतिस्थापन प्रयास

आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं के निर्माण तथा स्वदेशीकरण हेतु निरंतर प्रयास किए गए जैसे इलेक्ट्रॉप रोप शॉवेल (5 सीयूएम क्षमता) और सीआईएल के लिए ड्रैगलाइन।

फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के उन्नयन से निम्नलिखित ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिली जो आयात प्रतिस्थापन प्रकृति के हैं जैसे आकांक्षा प्रोजेक्ट के लिए रिएक्टर प्रेशर वेसल के लिए लो अलॉय स्टील फोर्जिंग।

### III. ऊर्जा संरक्षण

कंपनी की फाउंड्री फोर्ज यूनिट सबसे ज्यादा ऊर्जा सघन इकाई है जहां कुल विद्युत ऊर्जा का 75 प्रतिशत से ज्यादा और कोयले की शत-प्रतिशत खपत होती है।

पिघलने के चक्र (मेल्टिंग साइकल) में कमी लाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों से मेल्टिंग एरिया में विशिष्ट बिजली की खपत में काफी कमी लाने में मदद मिली। हालांकि, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन के साथ विशिष्ट ऊर्जा की खपत बढ़ गई। बिजली की खपत करने वाले प्रमुख फर्नेस के प्रतिस्थापन/उन्नयन को आधुनिकीकरण योजना में शामिल किया गया है।

फाउंड्री फोर्ज यूनिट में उठाए गए विभिन्न कदमों से समग्र ऊर्जा की खपत और विशिष्ट ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने में मदद मिली, जो इस प्रकार है :

- सही लोड प्लानिंग के द्वारा बिजली की अधिकतम मांग में कमी।
- दिन के समय के दौरान विभिन्न सब स्टेशनों के निष्क्रिय ट्रांसफार्मर बंद करना।
- ऑटोमैटिक पावर फैक्टर कंट्रोल (एपीएफसी) पैनेलों की सतत निगरानी के द्वारा जहां तक संभव हो उच्च औसत पावर फैक्टर को बनाए रखना।
- स्टैटिक ट्रांसफॉर्मर्स तथा रेक्टिफायर्स द्वारा एमजी सेट्स का रिप्लेसमेंट
- फर्नेसों में सिरामिक परत का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक पिट फर्नेस में प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रक स्थापित करके।
- लोड सेंटरों में विकेन्द्रीकृत एयर कंप्रेसर के साथ केंद्रीकृत कंप्रेसर इकाई का प्रतिस्थापन।
- लोड की जरूरत के हिसाब से सेंट्रलाइज्ड कंप्रेसर को विराम देने हेतु बंद करना।
- प्रोडक्शन शॉपस के रूफ टॉप पर पारदर्शी शीट्स का प्रावधान जिससे सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जा सके।
- ऊर्जा संरक्षण चेतना तथा विभिन्न उपायों के लिए कर्मचारियों को परामर्श। इससे पिछले साल के मुकाबले कुल बिजली की खपत तथा विशिष्ट ऊर्जा की खपत कम करने में मदद मिली है।

- निम्नलिखित उपस्कर के विकसित होने से मशीन की समय एवं मूल्य में कमी हुई :
  - i) नोर्दन कोलफिल्ड लिमिटेड के लिए इन्टरमिडियेट शॉपट जो ड्रेगलाइन का अवयव है। इससे पहले टिथ कटिंग हेतु 285 घंटे लगाते थे अब इसके द्वारा 112 घंटे की कमी हुई, जिसके कारण मूल्य में 5,40,000/रु. की कमी हुई।
  - ii) नार्देन कोलफिल्ड लिमिटेड के लिए मेन गियर विल जो ड्रेगलाइन का अवयव है। इससे पहले टिथ कटिंग हेतु 676 घंटे लगाते थे जिसमें 233 घंटे की कमी हुई, फलस्वरूप मूल्य में 9,49,349/-रु. की कमी हुई।





## निगमित शासन पर रिपोर्ट

(31.03.2018 के अनुसार)

निदेशकगण कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित प्रशासन) पर कंपनी की गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं।

### कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी लि.) पारदर्शी कारोबारी गतिविधियों में विश्वास करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, मालिक या किसी अन्य रूप में सार्वजनिक उपक्रम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों तथा बड़े पैमाने पर समाज के रूप में कंपनी से जुड़े उन सभी लोगों के लिए मूल्य संवर्धन करना है। मूलतः इसमें अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीतियों के अभ्यासों को शामिल किया गया है और एचईसी पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और निष्ठा पर विश्वास करती है। एचईसी ने अपने घरेलू के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके वैश्विक मान्यता भी प्राप्त की है।

एचईसी सभी प्रकार के कानूनों का अनुपालन करती है और एक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने मामलों का प्रबंधन करती है साथ ही अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधन की नीतियों/निर्णय की निगरानी तथा नियंत्रित करती है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने की आकांक्षा में अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी अक्षरशः अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। संहिता में निहित भावना को आत्मसात करते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया है और मजबूत किया है।

### निदेशक मंडल :

निदेशक मंडल कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी प्रमुख कार्यों/प्रस्तावित गतिविधियों की देखरेख करते हैं। बोर्ड सामरिक और कारोबारी योजनाओं की भी समीक्षा करते हैं तथा मंजूरी देते हैं, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी भी शामिल है।

एसोसिएशन के आलेख के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए और ना

ही पंद्रह से ज्यादा। निदेशकों को किसी अर्हता शयनों को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्टिंग की तारीख को, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल होते हैं जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् (1) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक) (2) सरकार द्वारा नामित सरकारी निदेशक तथा (3) गैर-सरकारी निदेशक। बोर्ड में शामिल हैं (क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), तीन कार्यकारी निदेशक यानी डायरेक्टर (वित्त), डायरेक्टर (कार्मिक) एवं डायरेक्टर (विपणन) (ब) भारत सरकार द्वारा नामित भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से दो सरकारी निदेशक तथा चार गैर-सरकारी निदेशक।

वर्ष के दौरान श्रीमती अरुन्धती पंडा, निदेशक (वित्त), श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक) एवं श्री राणा सुभाषि चक्रवर्ती (निदेशक विपणन) द्वारा कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

सीएमडी सहित निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियमों, शर्तों तथा कार्यकाल पर निर्णय भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

निदेशकों को देय पारिश्रमिक/मुआवजा भी भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और सीएमडी तथा कार्यकारी निदेशकों को जो मासिक पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है।

### अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

i) श्री अविजीत घोष : सीएमडी

### कार्यकारी निदेशकों की सूची

- i) श्री आर सी सेन : दिनांक 26.12.2017 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
- ii) श्रीमती अरुन्धती पंडा : निदेशक (वित्त)
- iii) श्री मृदुल कुमार सक्सेना : निदेशक (कार्मिक)
- iv) श्री राणा शुभाशीष चक्रवर्ती : निदेशक (विपणन)

### भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

- i) श्री विश्वजीत सहाय, जेएस/डीएचआई
- ii) श्री सिया शरण, सीसीए/डीएचआई

**भारत सरकार द्वारा नामित गैर-आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक**

- i) श्री कृष्णा कुमार सिंह
- ii) श्री अरधेंदु शेखर षाडंगी
- iii) डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय
- iv) श्री एच. एन. रामकृष्णा

**बोर्ड की बैठक**

बोर्ड की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया हो। कंपनी के सचिव, बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

**बोर्ड की बैठकों की संख्या :-**

वर्ष 2017-18 के दौरान, पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तिथि	बोर्ड के सदस्य (स्ट्रेंथ)	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	30.06.2017	08	08
2	04.08.2017	08	08
3	30.08.2017	08	08
4	15.12.2017	08	08
5.	05.03.2018	10	10

**बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति**

निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में शामिल लोगों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक की संख्या
<b>(क) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक)</b>				
1. श्री अविजीत घोष	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	01
2. श्री आर सी सेन, निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार	01.04.2017 से 15.12.2017 तक	04	04	
3. श्रीमती अरुन्धती पंडा, निदेशक (वित्त)	27.12.2017 से 31.03.2018 तक	01	01	
4. श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक)	27.12.2017 से 31.03.2018 तक	01	01	
5. श्री राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन)	17.01.2018 से 31.03.2018	01	01	
<b>(ख) भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक</b>				
श्री विश्वजीत सहाय	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	05
श्री सिया शरण, सीसीए/डीएचआई	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	02
<b>(ग) अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक</b>				
श्री के. के. सिंह	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	
श्री ए. एस. षाडंगी	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	
डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	
श्री एच. एन. रामकृष्णा	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	05	05	

### बोर्ड कार्यसूची एवं सामग्री :-

बोर्ड का विश्वास है कि प्रभावी बोर्ड मीटिंग्स के लिए एक सुनियोजित एजेंडा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। एजेंडे में शामिल सभी प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक पृष्ठभूमि में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी अप्रत्याशित विकास को समायोजित करने के लिए यह एजेंडा काफी लचीला है, जिसपर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने और इसके निर्णय की आवश्यकता है। एजेंडा के कागजात आमतौर पर पहले से ही बोर्ड के सदस्यों के बीच वितरित कर दिए जाते हैं। अध्यक्ष (चेयरमैन) के परामर्श से बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के विचारार्थ किसी भी प्रासंगिक मामले को ला सकते हैं।

### ऑडिट कमिटी की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की सं.	बैठक में उपस्थिति की संख्या
श्री अरधेन्दु शेखर षाङ्गी	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	04	04
श्री सिया शरण	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	04	04
श्री के के सिंह	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	04	04
डा. (श्रीमती) तारण कुमार रॉय	01.04.2017 से 05.08.2018 तक	04	04

### अंकेक्षण समिति (ऑडिट कमिटी)

ऑडिट कमिटी की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया हो।

### ऑडिट कमिटी बैठकों की संख्या :-

वर्ष 2017-18 के दौरान, चार (4) बैठकों का आयोजन हुआ, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	तिथि	स्ट्रेंथ	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	30.06.2017	04	04
2.	30.08.2017	04	04
3.	15.12.2017	04	04
4.	05.03.2018	04	04

## लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उत्तर

सेवा में,  
सदस्यगण,  
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राँची

### वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2018 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारीयां भी शामिल है।

### वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में इस मामले के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के नकदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष राय दे, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 पढ़ें।

इस दायित्व में कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप उचित लेखा रिकॉर्ड्स का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान तथा रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, निर्णय एवं आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हो और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से लेखा रिकॉर्ड्स की शुद्धता और परिपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण तैयार करने और इसके प्रेजेंटेशन के लिए उपयुक्त थे, जो सत्य और निष्पक्ष राय देने में सक्षम हो, तथा जो धोखाधड़ी तथा भूलवश हुए वस्तुगत गलतबयानी से मुक्त हो, भी शामिल है।

### ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधान, लेखा तथा अंकेक्षण मानक और मुद्दों पर ध्यान दिया है, जिनको वहां निर्मित अधिनियम के प्रावधान

एवं नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक था।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा मानक के अनुरूप अपना ऑडिट किया था। उन मानकों में अनिवार्य था कि हम नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि उचित आश्वासन हासिल किया जा सके कि वित्तीय विवरण वस्तुगत गलतबयानी (मटेरियल मिस स्टेटमेंट) से मुक्त हो।

एक ऑडिट में वित्तीय विवरण में राशि और खुलसाओं के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रिया शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रिया ऑडिटर्स के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण के वस्तुगत गलतबयानी (मटेरियल मिस्टेटमेंट) के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या फिर भूलवश। वैसे जोखिम का मूल्यांकन करने में, ऑडिटर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को वित्तीय विवरण के लिए कंपनी की तैयारी के लिए प्रासंगिक मानते हैं जो ऑडिट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में सही और निष्पक्ष राय देता है और जो हर परिस्थिति में उपयुक्त हो। एक ऑडिट में इस्तेमाल किये जाने वाली लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाये गए लेखा मूल्यांकन की उपयुक्तता के साथ साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो ऑडिट साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे वित्तीय विवरण पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### विचार या राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दी गयी व्याख्या के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के लिए अपेक्षित वांछित जानकारी प्रदान करता है, और लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष राय प्रदान करता है और भारत में सामान्यतया मान्य हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुई तिथि जो कंपनी की कार्यकाल का लाभ एवं नकदी प्रवाह है।

**संबंधी मामलों पर जोर**

हम वित्तीय विवरण में वर्णित निम्नलिखित मुद्दों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
1	<p><b>व्यवसाय प्राप्य योग्य (टिप्पणी संख्या-18)</b></p> <p>नोर्दन कोलफिल्ड लिमिटेड में पड़े हुए राशि 1458.03 लाख रुपये प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। उक्त राशि नवम्बर 1999 से पड़े हुए है। उक्त मामला मध्यस्थ के समक्ष विचाराधीन है। (टिप्पणी संख्या 33.8 पर निर्दिष्ट)</p>	<p>सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मूल पुरस्कार पारित किया गया था। इसकी पुष्टि भारत सरकार के कानून एवं न्याय विभाग एवं कम्पनी मामलों के विभाग के अपर सचिव द्वारा की गई थी। अतएव पुरस्कार विवादित नहीं है।</p> <p>एन.सी.एल. ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में अपील की जिसे खारिज कर दिया। इसे पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 जुलाई 2016 को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।</p> <p>क्योंकि मामला सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है एवं अभी तक कोई प्रतिकूल फैसला नहीं आया है हालांकि मामला 20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है। इसके बावजूद इस स्तर पर कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, वित्तीय विवरण के क्रम संख्या 33.8 के अन्य नोट में खुलासा किया गया है।</p>
2	<p><b>अन्य चालू देयताएँ (टिप्पणी संख्या-9)</b></p> <p>सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान पर ब्याज 1243.25 लाख रुपया भुगतान हेतु कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>(टिप्पणी संख्या 33.15 में निर्दिष्ट)</p>	<p>कम्पनी गंभीर नगदी के कमी के कारण उपदान की दायित्व नहीं चुका पा रही थी। भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार निगम भूमि के मुद्रिकरण से प्राप्त राशि से उपदान का भुगतान शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा उपदान पर ब्याज न तो निगम द्वारा भुगतान किया जाता है और न ही उपदान के देरी भुगतान के कारण ब्याज की देनदारी प्रदान की गई है। वित्तीय विवरण के क्रम संख्या 33.15 में अन्य नोट पर यह खुलासा किया गया है।</p>
3	<p>ऑपरेशन से प्राप्त राजस्व में सम्मिलित है इस कलेक्शन बिल 2521.34 लाख रुपया, जिसकी पुष्टी होना लम्बित है।</p> <p>(टिप्पणी संख्या 33.16 (C) पर निर्दिष्ट)</p>	<p>दिनांक 19.3.2018 के पत्रांक अनुसार बी.एस.पी. द्वारा दिनांक 8.4.2010 से 28.01.2014 तक 1392 दिन बिना एलडी के लेबी हेतु बिलम्ब स्वीकृती प्रदान की गई। इसके अनुसार दिनांक 23.03.2018 को उपयुक्त अवधि के लिए रकम 2521.34 का इसकलेशन बिल प्रस्तुत किया। उपयुक्त बिल बी.एस.पी. के वाणिज्य विभाग में विचाराधीन है जो बहुत जल्द वसूली होने का अपेक्षित है।</p> <p>वित्तीय विवरण के क्रम संख्या 33.16(C) में उल्लेख किया गया है।</p>



क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
4.	<p><b>आकस्मिक देयताए (टिप्पणी संख्या-33.1.7)</b></p> <p>कानूनी केस संख्या 15/98 भूमि अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण मुआवजे बढ़ाने के मामले) हेतु एच.ई.सी. द्वारा 247 लाख रुपया साथ में ब्याज 15% सालाना भुगतान करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। बकाया राशि के साथ पुरस्कृत राशि 247.00 लाख रुपया के साथ 750.05 लाख रुपया ब्याज के साथ एच.ई.सी. को कुल 997.05 लाख रुपया दिनांक 31.03.2018 तक देनदारी की कोई प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>(टिप्पणी संख्या 33.17 (C) में निर्दिष्ट)</p>	<p>हमारे अधिवक्ता द्वारा राँची गौशाला से संबंधित 157.42 एकड़ जमीन तत्कालीन सरकार बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। एच. ई. सी. की स्थापना एवं सार्वजनिक उद्देश्य और एनसीलरी के लिए 3500 रु0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा का भुगतान किया गया था। वर्ष 1971 को राँची गौशाला द्वारा बाद में मुआवजा बढ़ाने हेतु एफ आई ए केस संख्या 22/1971 दायर किया एवं दिनांक 12.01.1998 को मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया गया और इसे दिनांक 19.01.1998 को पुरस्कृत किया गया था। लोअर डिवीजन कोर्ट (एल. डी. कोर्ट) द्वारा मुआवजा बढ़ाने के लिए 20000/- प्रति एकड़ किया साथ ही प्रीलेटुम 30% ब्याज, 9% सालाना एवं वर्ष तक (17.10.1958 से 16.10.1959) और 15% प्रतिवर्ष दिनांक 17.10.1959 से रकम की प्राप्ति तक। इस प्रकार मुआवजा के समायोजन के बाद 468029.19 रु0 पहले ही भुगतान कर चुका था। दिनांक 31.12.1997 का प्रोलेटुम एवं ब्याज सहित मुआवजा की राशि 24721749.80 रु. राँची गौशाला को भुगतान करना था। इस निर्णय के कारण एच.ई. सी. ने समाधान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में एफ ए संख्या 43/98 अपील की और राँची गौशाला द्वारा भी सिविल कोर्ट में उक्त निर्णय बहाल हेतु केस संख्या एक्ट 15/1998 दायर किया। उक्त कोर्ट में दोनों केस लम्बित है।</p> <p>अतः उपरोक्त विचार से लेखाकरण में दर्शाये गए आकस्मिक देयताएँ उचित लगता है।</p>


कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**  
 फर्म पंजीकरण संख्या : 06511C

  
**(आर.एस. अग्रवाल)**

पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
 फर्म पंजीयन सं. - 001468C

तिथि: 30.06.2018

स्थान: रांची

  
**आर. क. श्रीवास्तव**  
 वरीय उप महाप्रबंधक (वित्त)  
 हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

### अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित के रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं

1. यथा कंपनियों हेतु वांछित (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2016 संशोधित, जो भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (11) के संबंध में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुरूप हमने ऑर्डर के अनुच्छेद (पैराग्राफ) 3 और 4 में वर्णित विषयों पर अनुलग्नक 1 में विवरण का उल्लेख किया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) के निर्देश और उपनिर्देश के आलोक में हमने उन मामलों को अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट किया है जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143 (5) के लिए वांछित है तथा कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखा में इन निर्देशों तथा उपनिर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) हेतु वांछित है, हमने सूचित किया
  - (a) हमने अपने अंकेक्षण के उद्देश्य से सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
  - (b) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित समुचित बही-खाता कंपनी के पास है जो हमारे द्वारा उन बही खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है।
  - (c) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बही-खाता के अनुरूप है।
  - (d) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 पढ़ें।
  - (e) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, 31 मार्च 2018 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
  - (f) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रण संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में अनुलग्नक-3 में हमारा अलग से रिपोर्ट देखें।
  - (g) कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पर्याप्त खुलासा नहीं किया है।
  - (h) कंपनी के ऑडिट एवं ऑडिटर्स के नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर्स रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में, और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार
    1. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित विवादों का इसके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव उचित प्रकटीकरण नहीं किया है- जिसका वित्तीय विवरण के नोट सं. 34.3 के क्रम सं. 7 में सम्बन्धी मामलों पर जोर के प्वाइंट संख्या-II एवं अन्य मामलों के प्वाइंट संख्या (स) में हवाला दिया गया है।
    2. कंपनी के पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित किसी प्रकार का दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण किसी प्रकार का नुकसान की सम्भावना नहीं है।
    3. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या : 06511C

  
(आर.एस. अग्रवाल)

पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
फर्म पंजीयन सं. - 001468C

तिथि: 30.08.2018  
स्थान: रांची

## “अनुलग्नक 1” पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट


31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आज की तारीख में कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी रिपोर्ट में अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं शीर्षक के अंतर्गत परिच्छेद 1 के संदर्भ में

क्रम संख्या	ऑडिटर्स की रिपोर्ट	जवाब
1	<p>अ) कंपनी ने अचल संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण ब्यौरा दिखाकर समुचित रिकॉर्ड को बनाए रखा है।</p> <p>ब) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। हालांकि, यह परीक्षण जाँच के आधार पर किया गया है, यद्यपि कंपनी का आकार और इसके व्यापार की प्रकृति एक और मज़बूत भौतिक सत्यापन की माँग करती है। अचल संपत्ति की कौडिंग व्यक्तिगत संपत्तियों पर नहीं की गयी है, इसलिये इसे सत्यापित करना असुविधाजनक है।</p> <p>स) अचल संपत्ति का मालिकाना हक कंपनी के नाम पर दिया जाता है।</p>	<p>नोट किया गया</p> <p>एचईसी में अचल संपत्तियों को सही तरीके से कोड किया गया है जिसमें प्रत्येक परिसंपत्ति की पहचान करने के लिए इन्वेंट्री संख्या और मद संख्या अंकित है।</p> <p>नोट किया गया</p>
2	<p>अ) जैसा कि हमें बताया गया है, वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान ही आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा करवाया गया था।</p> <p>ब) कारोबार के आकार और प्रकृति को देखते हुए कच्चे माल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया और आवृत्ति को मज़बूत करने की ज़रूरत है।</p> <p>स) हमारी राय में हमें जो जानकारी और विवरण उपलब्ध करायी गयी है, उसके आधार पर वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन और किताब में जो रिकॉर्ड है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ नहीं पायी गयी है और उन्हें रिकॉर्ड बुक में सही तरीके से दर्शाया गया है।</p>	<p>नोट किया गया</p> <p>नोट किया गया</p> <p>नोट किया गया</p>
3	<p>कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत वैसी कंपनी, फर्म या अन्य दूसरी पार्टियाँ जो रजिस्टर में पंजीकृत है, उन्हें कंपनी ने किसी भी प्रकार की सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की स्वीकृति नहीं दी है। अतः उपरोक्त आदेश के क्लॉज़ (अ) से (ब) के प्रावधान कंपनी के लिये उपयुक्त नहीं है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं है।</p>
4	<p>हमारी राय में हमें जो जानकारी और विवरण उपलब्ध करायी गयी है, उसके आधार पर कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं है।</p>
5	<p>अधिनियम की धारा 73, से 76 के तहत बनाए गये अधिसूचित सीमा में रहते हुए कंपनी ने जनता से कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं की है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं है।</p>

6	<b>लागत रिकॉर्ड :</b> प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है कि कंपनी के उत्पादों के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्ड कंपनी द्वारा संभाल कर रखा गया है।	कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के नियम, 2011 के तहत लागत रिकॉर्ड स्वयं कंपनी के द्वारा संभाल कर रखा जा रहा है।																																																				
कम्पनी द्वारा दी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविधिक एवं अन्य बकाया निम्नलिखित हैं।																																																						
7	अ) हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन एवं जो स्पष्टीकरण एवं जानकारी कंपनी को दी गयी थी उसमें उपयुक्त अधिकारी के साथ कंपनी द्वारा नियमित रूप से बकाया राशि जमा करते हैं। जिसके अंतर्गत भविष्य निधिकोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सीमा शुल्क, जब्ती और दूसरे अन्य उचित वैधानिक बकाया आते हैं। विगत छ महिने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं है। इसके अलावा जमा के विषय में जानकारी दी गयी है।	नोट किया गया																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>अधिनियम का नाम</th> <th>राशि (बकाया)</th> <th>अवधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगरपालिका कर</td> <td>39.50 लाख</td> <td>अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2005 तक</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.00 लाख</td> <td>अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक</td> </tr> <tr> <td>पानी का बकाया राशि</td> <td>3462.71 लाख</td> <td>अक्टूबर 2007 से मार्च 2018 तक</td> </tr> </tbody> </table>			अधिनियम का नाम	राशि (बकाया)	अवधि	नगरपालिका कर	39.50 लाख	अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2005 तक		4.00 लाख	अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक	पानी का बकाया राशि	3462.71 लाख	अक्टूबर 2007 से मार्च 2018 तक																																								
अधिनियम का नाम	राशि (बकाया)	अवधि																																																				
नगरपालिका कर	39.50 लाख	अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2005 तक																																																				
	4.00 लाख	अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक																																																				
पानी का बकाया राशि	3462.71 लाख	अक्टूबर 2007 से मार्च 2018 तक																																																				
ब) कम्पनी द्वारा दी गई सूचनाएं एक स्पष्टीकरण के अनुसार संविधिक बकाया जो विवादों के कारण दिनांक 31 मार्च 2018 से जमा नहीं किया गया है, वह इस वर्ष है :-																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>स्टेट्स के नाम</th> <th>अवधि से संबंधित</th> <th>फोरम</th> <th>रकम (निवल भुगतान किया गया, लाख में)</th> <th>संबंधित अपील अधिकारी के पास पहले ही अपील है।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 (VAT)</td> <td>2008-2009</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>10.78</td> <td rowspan="4">फाइल कर चुका है।</td> </tr> <tr> <td>2009-2010</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>19.63</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>92.41</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>79.18</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">केन्द्र विक्री कर (CST)</td> <td>2008-2009</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>10.35</td> <td rowspan="4">आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।</td> </tr> <tr> <td>2009-2010</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>57.76</td> </tr> <tr> <td>2010-2011</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>137.18</td> </tr> <tr> <td>2011-2012</td> <td>आयुक्त वाणिज्यकर, राँची</td> <td>1064.81</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">सेवा कर एक्ट</td> <td>अक्टूबर 2006-मार्च 2007</td> <td>सी ई एस टी, कोलकाता</td> <td>617.96</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>अक्टूबर 2007-मार्च 2010</td> <td>सी ई एस टी, कोलकाता</td> <td>816.06</td> </tr> <tr> <td>2013-14 एवं 2014-15</td> <td>कमीश्नर (अपील) राँची</td> <td>221.05</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">केन्द्र उत्पाद कर</td> <td>2010-11 से 2014-15</td> <td>सी.ई.एस.टी., कोलकाता</td> <td>1180.18</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>फरवरी 2009 - दिसम्बर 2009</td> <td>कमीश्नर (अपील) राँची</td> <td>4.84</td> </tr> </tbody> </table>			स्टेट्स के नाम	अवधि से संबंधित	फोरम	रकम (निवल भुगतान किया गया, लाख में)	संबंधित अपील अधिकारी के पास पहले ही अपील है।	वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 (VAT)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.78	फाइल कर चुका है।	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	19.63	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	92.41	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	79.18	केन्द्र विक्री कर (CST)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.35	आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	57.76	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	137.18	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	1064.81	सेवा कर एक्ट	अक्टूबर 2006-मार्च 2007	सी ई एस टी, कोलकाता	617.96		अक्टूबर 2007-मार्च 2010	सी ई एस टी, कोलकाता	816.06	2013-14 एवं 2014-15	कमीश्नर (अपील) राँची	221.05	केन्द्र उत्पाद कर	2010-11 से 2014-15	सी.ई.एस.टी., कोलकाता	1180.18		फरवरी 2009 - दिसम्बर 2009	कमीश्नर (अपील) राँची	4.84
स्टेट्स के नाम	अवधि से संबंधित	फोरम	रकम (निवल भुगतान किया गया, लाख में)	संबंधित अपील अधिकारी के पास पहले ही अपील है।																																																		
वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 (VAT)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.78	फाइल कर चुका है।																																																		
	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	19.63																																																			
	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	92.41																																																			
	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	79.18																																																			
केन्द्र विक्री कर (CST)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.35	आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।																																																		
	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	57.76																																																			
	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	137.18																																																			
	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	1064.81																																																			
सेवा कर एक्ट	अक्टूबर 2006-मार्च 2007	सी ई एस टी, कोलकाता	617.96																																																			
	अक्टूबर 2007-मार्च 2010	सी ई एस टी, कोलकाता	816.06																																																			
	2013-14 एवं 2014-15	कमीश्नर (अपील) राँची	221.05																																																			
केन्द्र उत्पाद कर	2010-11 से 2014-15	सी.ई.एस.टी., कोलकाता	1180.18																																																			
	फरवरी 2009 - दिसम्बर 2009	कमीश्नर (अपील) राँची	4.84																																																			
8	हमारी राय में और जो जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दी गई थी, कंपनी द्वारा बैंकों को देय राशि की अदायगी में चूक नहीं की गई है।	नोट किया गया																																																				


9	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर सहित ऋण प्रपत्रों एवं सावधि ऋण के माध्यम से धन की उगाही नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (9) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	नोट किया गया
10	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर हम सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की घटना नहीं पायी गयी है और न ही इस तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है।	नोट किया गया। हालांकि, प्रासंगिक दस्तावेज साक्ष्य जैसे एफआईआर के आधार पर, एफआईआर में वर्णित मूल्य, अंकेक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया है।
11	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ धारा 187 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित मंजूरी के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान किया गया है या प्रदान किया गया है।	नोट किया गया।
12	हमारी राय में, यह कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, यह क्लाउज कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
13	हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन देन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित जानकारी का खुलासा वित्तीय विवरण में किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
14	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई तरजीही आवंटन या शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।	कोई टिप्पणी नहीं
15	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, यह क्लाउज कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं
16	हमारी राय में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के तहत कंपनी के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**  
 फर्म पंजीकरण संख्या : 06511C

  
**(आर.एस. अग्रवाल)**

पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
 फर्म पंजीयन सं. - 001468C

तिथि : 30.06.2018  
 स्थान : रांची

  
**आर के श्रीवास्तव**  
 वरीय उप महाप्रबंधक (वित्त)  
 हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., रांची



**अनुलग्नक-‘ब’ पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**  
**हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 वर्ष 2017-18 के लिए

कम्पनी एक्ट, 2013 के अण्डर सेक्शन 143 (5) के अन्तर्गत दिशा निर्देश परिच्छेद 2 के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट		
क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड का जमीन का टाइटल/पट्टा की जांच करें और जमीन फ्रीहोल्ड एवं लीजहोल्ड जमीन को रिपोर्ट करें, जो विवाद, अतिक्रमण के कारण टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।	फ्रीहोल्ड भूमि का कन्वेंशन डीड कम्पनी के पास उपलब्ध है जैसा कि पता चला है 379.91 एकड़ जमीन अतिक्रमण है।
2.	किसी प्रकार के कोई केस जिसमें छुट/ऋण/ब्याज आदि है तो इसका कारण एवं कितना राशि शामिल है, कृपया रिपोर्ट दें।	इस प्रकार का कोई भी केस हमारे पास नहीं है।
3.	क्या तीसरी पक्ष के पास पड़ी हुई वस्तु सूची और सरकार एवं अन्य अधिकारियों से प्राप्त उपहार, सम्पत्तियों का उचित रिकार्ड है?	तीसरी पक्ष के पास पड़ी हुई वस्तु सूची का उचित रिकार्ड उपलब्ध है। वर्ष के दौरान, सरकारी, अन्य अधिकारियों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लिया गया है।

कम्पनी एक्ट, 2013 के अण्डर सेक्शन 143 (5) के अन्तर्गत सब दिशा निर्देश परिच्छेद 2 के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट		
क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	अधिकृत ऋण अवधि से परे जिनमें बिलों की पुष्टि वास्तविकता और देनदार द्वारा समायोजित/समायोजित एल डी जो शामिल है। संदिग्ध वास्तविकता के लिए प्रावधान की पर्याप्तता और पर्याप्तता की आकलन कर समीक्षा करें।	हमने जांच की है कि विभिन्न देनदारों की अधिकृत क्रेडिट अवधि से अधिक जुड़ा हुआ है और यह पाया गया है कि शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है। संदिग्ध ऋण के लिए पर्याप्त प्रावधान कम्पनी ने लेखा निति के आधार पर किया है।
2.	प्रबंधन द्वारा वेतन में प्राप्त किए गए उपदान एवं कर्मचारियों का लाभ के विरुद्ध वास्तविक दायित्व का गणना कर जांच करें और क्या ये उचित है एवं वास्तविक मूल्य पूर्ण सही और वैध हेतु सम्बन्धित डाटा प्रबंधन द्वारा प्रावधान किया गया है।	हमने कम्पनी द्वारा दिए गए वेतन में बढ़ोत्तरी की प्रतिशत की जांच की है, बीमांकित दायित्वों के लिए उपदान और कर्मचारियों का लाभ उचित पाया। हम आगे की रिपोर्ट करते हैं कि बीमांकित शुल्कों के लिए कम्पनी द्वारा प्रदान की गई डाटा सही, पूर्ण और वैध था।

## अनुलग्नक 'स' स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेवी इंजीनियरिंग-कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ ही हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का साथ में अंकेक्षण किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के साथ आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन पर है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

इस जिम्मेदारी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन सहित कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को पता लगाने तथा रोकना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपने अंकेक्षण का संचालन किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 को निर्धारित करने के लिए समझा जा सकता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर लागू होता हो, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए लागू होते हों और दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए हों। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं प्रदर्शन करें जिससे यह पता चल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है एवं बरकरार रखा गया है या नहीं और यदि ऐसा है तो वह सभी मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग में उल्लेखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उसके प्रभावी प्रदर्शन के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण में शामिल है वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना जहां मेटेरियल में खामी मौजूद है, और डिजाइन का मूल्यांकन एवं परीक्षण तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का संचालन। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण के वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या फिर भूलवश।

हमें विश्वास है कि हमें जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण में वे नीतियां या प्रक्रियाएं शामिल हैं जो अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को उचित विवरण, सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हों।

उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी को अनुमति देने के लिए आवश्यक लेनदेन को दर्ज किया गया हो, और यह कि कंपनी की प्राप्तियों एवं व्यय को प्रबंधन के अधिकार और कंपनी के निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है।

कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग की रोकथाम या प्रकृति का समय पर पता लगाने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है जिससे वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अधिरोहन का अनुचित प्रबंधन भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलतबयानी हो सकता है या इसका पता नहीं लग सकता है। साथ ही, आने वाले समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम का विषय हो सकता है जिससे स्थिति में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।


### राय

ऑडिट के आधार पर जो जानकारी और विवरण उपलब्ध करायी गयी है इसके अनुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित सामग्री की कमजोरी चिह्नित की गई है। वस्तु सूची निर्गत हेतु उत्पादन एवं सत्यापन के लिए कम्पनी का अन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी वस्तुगत मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च 2018 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण मानदंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

समाप्त हुए वर्ष की तिथि 31 मार्च 2018 के लिए कम्पनी की वित्तीय विवरण में हमारी ऑडिट में प्रवृत्ति, समय और ऑडिट टेस्ट की सीमा पर चिह्नित कमजोर सामग्री को विचारार्थ रखा गया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण में उपर्युक्त कमजोर सामग्री, हमारी राय को प्रभाव नहीं करता है।

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या : 06511C

  
(आर. एस. अग्रवाल)

पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
फर्म पंजीयन सं. - 001468C

तिथि : 30.06.2018

स्थान : रांची


अनुलग्नक- 'स'

## 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 30 जून 2018 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण मामले हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणीया कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत सांविधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

  
(इंदु अग्रवाल)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा  
परीक्षा एवं पदेन् सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, राँची

स्थान - राँची

दिनांक - 27.08.2018



**FORM NO. MGT 9**

ANNEXURE-D

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018**

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

**1. REGISTRATION & OTHER DETAILS :**

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINEERING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

**2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SL. No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

**3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES**

Sl. No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1	N.A				
2	N.A				
3	N.A				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

**i. Category – wise Share Holding**

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoters</b>									
<b>(1) Indian</b>									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
<b>SUB TOTAL : (A) (1)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0





<b>(2) Foreign</b>									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other...									
<b>SUB TOTAL : (A) (2)</b>									
<b>Total Shareholding of Promoter</b>									
<b>(A) = (A)(1) + (A) (2)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

**B. PUBLIC SHAREHOLDING**

<b>(1) Institutions</b>									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(1):</b>									
<b>(2) Non Institutions</b>									
<b>a) Bodies Corporates</b>									
i) Indian									
ii) Overseas									
<b>b) Individuals</b>									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(2):</b>									
<b>Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B)(2)</b>									



C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER								
Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	G.O.I	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) – N.A.					
Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100

5. INDEBTEDNESS				
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Amt in Lakh)				
	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtness at the beginning of the financial year</b>				
i) Principal Amount	13878.74	4789.00		18667.74
ii) Interest due but not paid		1420.42		1420.42
iii) Interest accrued but not due		420.30		420.30
Total (i+ii+iii)	13878.74	6629.72		20508.46
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>				
Additions				
Reduction				
<b>Net Change</b>				
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>				
i) Principal Amount	18706.22	4789.00		23495.22
ii) Interest due but not paid		2638.53		2638.53
iii) Interest accrued but not due		123.28		123.28
<b>Total (i+ii+iii)</b>	18706.22	7550.81		26257.03



**6 REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

**A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:**

Sl.No	Particulars of Remuneration	Total Amount (Rs. Lakh)			
		Avijit Ghosh	Arundati Panda	M. K. Saxena	Rana S. Chakravarty
1	<b>Gross salary</b>				
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	30.30	7.15	5.64	4.83
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission -as % of profit -Other, Specify				
5	Others, please specify-				
6	<b>Total (A)</b>				
7	<b>Ceiling As per the Act</b>	<b>30.30</b>	<b>7.15</b>	<b>5.64</b>	<b>4.83</b>

**B. Remuneration to other Directors :**

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of Director				Total Amount (Amt in Rs.)
		K. K. Singh	A. S. Sarangi	H. N. Ramakrishna	Taran Kumari Roy	
	<b>Independent Directors</b>					
	(a) Fee for attending board committee meetings	90000	120000	80000	90000	380000
	(b) Commission (c)Others, please specify- Sitting Fees					
	<b>Total (i)</b>	<b>90000</b>	<b>120000</b>	<b>80000</b>	<b>90000</b>	<b>380000</b>
	<b>Other Non Executive Directors</b>					
	(a) Fee for attending board committee meetings (b) Commission (c)Others, please specify- Sitting Fees					
	Total(ii)	90000	120000	80000	90000	380000
	<b>Total B = (i+ii)</b>	<b>90000</b>	<b>120000</b>	<b>80000</b>	<b>90000</b>	<b>380000</b>
	Total Managerial Remuneration					
	<b>Overall Ceiling as per the Act</b>					

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total Rs. in Lakh
		CEO	Company Secretary	CFO	Total	
1	<b>Gross Salary</b>					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		9.57			9.57
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock Option					
3	Sweat Equity					
4	Commission					
	as % of profit					
	others, specify					
5	Others, please specify					
	<b>Total</b>		<b>9.57</b>			<b>9.57</b>

**7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES**


Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					


## 31 मार्च 2018 को तुलन पत्र


₹ लाख में


	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को	31.03.2017 को
<b>I. इक्विटी एवं देयताएँ</b>			
<b>1. शेयरधारक फंड</b>			
(अ) शेयर पूँजी	2	60607.88	60607.88
(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(49628.24)	(94276.35)
<b>2. शेयर उपयोग रकम</b>			
लंबित आवंटन		0.01	0.01
<b>3. गैर चालू देयताएँ</b>			
(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	957.80	1915.60
(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	1011.81	1467.69
(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	7817.36	7076.98
<b>4. चालू देयताएँ</b>			
(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	18706.22	13878.74
(ब) व्यवसाय देय	8	15499.94	25782.51
(स) अन्य चालू देयताएं	9	28756.93	52358.47
(द) लघुकालीन प्रावधान	10	4518.31	4466.93
<b>कुल</b>		<b>88248.08</b>	<b>73278.46</b>
<b>II. परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>(अ) नियत परिसम्पत्तियाँ</b>			
(i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	11	6656.05	7087.39
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	12	0.00	0.00
(iii) पूँजीगत चालू कार्य	13	922.40	226.41
(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	15.02	16.13
(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	16	19912.61	20412.35
<b>2. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
(क) वस्तुसूचियाँ	17	10510.89	12818.35
(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	26019.83	16803.09
(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	4511.30	9458.72
(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	3511.31	3298.98
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	16188.31	3156.68
<b>कुल</b>		<b>88248.08</b>	<b>73278.46</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1  
 वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33  
 टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश प्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।


  
 ए. के. कंट  
 कम्पनी सचिव

  
 आर. के. श्रीवास्तव  
 व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)

  
 अरुन्धती पंडा  
 निदेशक (वित्त)

  
 अविजीत घोष  
 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
 कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

  
 (सी. ए. आर. एस. अग्रवाल)  
 पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
 फर्म पंजीयन सं. - 001468C

स्थान : राँची  
 दिनांक : 30.06.2018




## लाभ एवं हानि ब्यौरे


31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए


₹ लाख में


	टिप्पणी सं.	2017-18	2016-17
i. प्रचालन से राजस्व	22	40343.11	39834.69
ii. अन्य आय	23	3531.57	3015.93
iii. कुल राजस्व		43874.68	42850.62
iv. व्यय			
(क) सामग्री खपत लागत	24	14809.92	13035.00
(ख) समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25	1005.53	3351.11
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	12572.56	11386.11
(घ) वित्तीय लागत	27	2669.66	3244.32
(ङ) मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28	743.30	695.45
(च) अनुसंधान एवं विकास व्यय	29	93.52	63.17
(छ) अन्य व्यय	30	21748.23	19349.29
<b>कुल व्यय</b>		<b>53642.72</b>	<b>51124.45</b>
पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि		(9768.04)	(8273.83)
पूर्व अवधि संमजन (निवल)	31	(1425.60)	47.17
v. अपवादिक, असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(11193.64)	(8226.66)
vi. अपवादिक आइटम			-
vii. असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(11193.64)	(8226.66)
viii. असाधारण आइटम	32	62102.44	0.00
ix. कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)		50908.80	(8226.66)
x. कर व्यय			
(i) चालू कर		6308.92	0.00
(ii) आस्थगित कर		0.00	6308.92
		0.00	0.00
xi. सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)		44599.88	(8226.66)
xii. विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)		0.00	0.00
xiii. विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय		0.00	0.00
xiv. विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)		0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		44599.88	(8226.66)
प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मुल्य रु. 1000) (1) रु. में मूल		735.88	(135.74)
(2) रु. में कमी		735.88	(135.74)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1  
 वित्तीय विवरण के अन्या टिप्पणियाँ 33  
 टिप्पणी सं. 1 से 33 केश पलो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

  
 ए. कं. कंट  
 कम्पनी सचिव


  
 आर. कं. श्रीवास्तव  
 व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)

  
 अरुन्धती पंडा  
 निदेशक (वित्त)

  
 अविजीत घोष  
 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिधि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
 कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी  
 चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

स्थान : राँची  
 दिनांक : 30.06.2018

  
 (सी. ए. आर. एस. अग्रवाल)  
 पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
 फर्म पंजीयन सं. - 001468C

## अप्रैल 2017-मार्च 2018 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में


	2017-18		2016-17	
<b>(अ) परिचालन कार्य से कैश फ्लो</b>				
कर पूर्व निवल लाभ		(11193.64)		(8226.66)
असाधारण आईटम	62102.44	50908.80	0.00	0.00
<b>समायोजन हेतु</b>				
मूल्य ह्रास	756.46		705.04	
ब्याज खर्च	2669.66		3244.32	
असाधारण आईटम	(62102.42)		0.00	
परिशोधन व्यय	0.00		0.00	
पट्टा आय	(574.33)		(518.16)	
ब्याज कमाई	(27.23)		(113.38)	
इंफ्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	791.76	(58486.12)	(680.26)	(2637.56)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		(7577.32)		(5589.10)
<b>समंजन हेतु :</b>				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य राशि	(21748.63)		(341.27)	
वस्तु सूची	2307.46		3505.13	
व्यापार देय	(34339.94)		11203.34	
ऋण एवं अग्रिम	(211.22)	(53992.33)	1355.37	15722.57
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त रोकड़		(61569.65)		10133.47
आयकर चुकाया		6308.92		0.00
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त निवल रोकड़		(67878.57)		10133.47
<b>(ब) निवेश कार्यकलाप से कैश फ्लो</b>				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(374.11)		(432.01)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	289.24		122.31	
मूल्य ह्रास में समंजन	(240.24)		(114.27)	
पूँजीगत चालू कार्य में समंजन	(695.99)		522.24	
ब्याज कमाई	27.23		113.38	
पट्टा आय	574.33		518.16	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		(419.54)		729.81
<b>(स) वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो</b>				
ब्याज भुगतान	(2669.66)		(3244.32)	
असाधारण आईटम	62102.44		0.00	
अल्पकालीन ऋण	4827.48		(7072.56)	
दीर्घकालीन उधारकर्ता	(957.80)		(957.80)	


## अप्रैल 2017 मार्च, 2018 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण


₹ लाख में


	2017-18	2016-17
आरक्षित एवं अतिरिक्त में परिवर्तन	48.23	83.91
वित्तीय कार्यक्लाप से निवल रोकड़	(63350.69)	(11190.77)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि / (ह्रास)	(4947.42)	(327.49)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक शेष	9458.72	9786.21
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन शेष	4511.30	9458.72
	<b>(4947.42)</b>	<b>(327.49)</b>

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशफ्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।

  
 ए. कं. कंट  
 कम्पनी सचिव


  
 आर. कं. श्रीवास्तव  
 व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)

  
 अरुन्धती पंडा  
 निदेशक (वित्त)

  
 अविजीत घोष  
 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

स्थान : राँची  
 दिनांक : 30.06.2017

  
 (सी. ए. आर. एस. अग्रवाल)  
 पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
 फर्म पंजीयन सं. - 001468C

## कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है  
एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

### टिप्पणी संख्या -1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) (कम्पनी (लेखामानक) नियम, 2006, संशोधित एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

### 2 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

### 3 वस्तुसूची मूल्य

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

(ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात् चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

### 4 राजस्व पहचान

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या अन्तिम मूल्य पर किया गया है। ऐसे डिस्पैच जिसके लिए चालान एवं गेट पास निर्गत किये गये हैं, लेकिन बिल नहीं दिये गये हैं, उनको बिल रहित बिक्री के रूप में संविदा या औपबंधिक मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को उत्पाद शुल्क सहित परन्तु बिक्रीकर रहित लेखाबद्ध किया गया है।

### 5 दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं

(क) राजस्व पहचान कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित

संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है। उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचान:

वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।

## 6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

## 7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना

प्राक्कलित आधार पर की गई है।

- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है। बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई।
- उपदान (ग्रेच्युटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

## 8. मूल्य हास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

## 9. विविध देनदार

- (अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, प्रेषणों के ऐस मूल्य भी हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।



(ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

#### 10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया/सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

#### 11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात् दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धृत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

#### 12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

#### 13. विदेशी मुद्रा लेन-देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्त लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पत्ति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

#### 14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/के लिए दावे/परिनिर्धारित नुकसानी (एल.डी.) ग्राहकों से वसूली

(क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

(ख) वसूल की गई परिनिर्धारित नुकसानी वसूली के तीन वर्ष उपरांत आय के रूप में पहचान की गई है।

(ग) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

#### 15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

(अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन

(ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या

(स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग

(द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु.बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

#### 16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018		31.03.2017	
<b>टिप्पणी संख्या -2</b>	<b>शेयर पूंजी</b>			
अधिकृत पूंजी				
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-	100000.00		100000.00	
निर्गत एवं अभिदत्त पूंजी				
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/-				
के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496				
(विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में				
न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।	60607.88		60607.88	
<b>निबल शेष</b>	<b>60607.88</b>		<b>60607.88</b>	
वर्ष के अन्त तक शेयर धारकों के पास 5% से अधिक शेयर है,				
इनका पूर्ण ब्यौरा	<b>शेयरों की संख्या</b>	<b>% पास में है</b>	<b>शेयर की संख्या</b>	<b>% पास में है</b>
नोमिनी के साथ भारत के राष्ट्रपति (पी.ओ.आई)	6060788	100%	6060788	100%
अंकित मूल्य प्रत्येक शेयर (रु.)		1000.00		1000.00
<b>टिप्पणी संख्या -3</b>	<b>आरक्षित एवं अधिशेष</b>			
<u>पूंजी आरक्षित</u>				
प्रारंभिक अधिशेष	10088.40		10004.49	
वर्ष के दौरान योग	622.56		602.07	
	10710.96		10606.56	
वर्ष के दौरान कटौती	574.33	10136.63	518.16	10088.40
<u>सरप्लस</u>				
प्रारंभिक अधिशेष	(104364.75)		(96138.09)	
वर्ष के दौरान योग	44599.88	(59764.87)	(8226.66)	(104364.75)
<b>योग</b>	<b>(49623.24)</b>		<b>(94276.35)</b>	
<b>टिप्पणी संख्या -4</b>				
टर्म ऋण				
भारत सरकार से गैर-योगनागत ऋण	957.80		1915.60	
<b>योग</b>	<b>957.80</b>		<b>1915.60</b>	
<b>टिप्पणी संख्या -5</b>	<b>अन्य दीर्घकालीन देयताएँ</b>			
<u>(अ) व्यवसाय देय</u>				
विधि लेनदार		0.00		0.00
<u>(ब) अन्य</u>				
ठेकेदार से जमानत एवं अन्य जमा	34.59		33.48	
कन्ट्रा नोट संख्या 15 के अनुसार कर्मचारियों से	0.76		0.76	
जमानत एवं अन्य जमा				
अन्य देयताएँ	736.04		1203.11	
विविध	240.42	1011.81	230.34	1467.69
<b>योग</b>	<b>1011.81</b>		<b>1467.69</b>	

## तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018		31.03.2017	
<b>टिप्पणी -6</b>	<b>दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ</b>			
<b>(अ) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था</b>				
उपदान हेतु व्यवस्था	5350.64		4334.72	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	1706.04		1852.65	
सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	39.80		48.12	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	35.33	7131.81	30.53	6266.02
<b>(ब) अन्य</b>				
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	69.12		82.28	
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	616.43	685.55	728.68	810.96
<b>योग</b>		<b>7817.36</b>		<b>7076.98</b>
<b>टिप्पणी -7</b>	<b>अल्पकालीन ऋण</b>			
<b>प्रतिभूत ऋण</b>				
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चा माल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)		18706.22		13878.74
<b>योग</b>		<b>18706.22</b>		<b>13878.74</b>
<b>टिप्पणी संख्या -8</b>	<b>व्यवसाय देय</b>			
विविध लेनदार		11228.34		15069.18
एस एम ई का बकाया		1051.40		2018.61
ग्राहकों से अग्रिम		3220.20		8694.72
<b>योग</b>		<b>15499.94</b>		<b>25782.51</b>

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018		31.03.2017	
<b>टिप्पणी संख्या -9</b>	<b>अन्य चालू देयताएँ</b>			
कर्मचारियों के देयताएँ		4436.63		12485.07
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व		1.88		1.88
भारत सरकार से ऋण*	3831.20		2873.40	
जोड़े : प्राप्त ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	<u>2761.81</u>	6593.01	<u>1840.72</u>	4714.12
सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)				
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए	18243.00		18243.00	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (13-14)	9245.61		9245.61	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (13-14)	6200.00		0.00	
घटाये : अग्रिम कर शेष	2054.39		2054.39	
जोड़े : ब्याज आय	<u>1948.97</u>	2691.97	<u>1669.50</u>	8612.50
ठेकेदारों से जमानत एवं अन्य जमा राशि		3217.16		3447.20
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता		269.84		77.74
सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम		250.00		0.00
सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि (स्वच्छय भारत)		55.00		0.00
विद्युत बकाया		2907.18		2546.73
जल कर बकाया		3462.71		3130.58
झारखण्ड सरकार (जमीन) से प्राप्त अग्रिम		0.00		10000.00
अन्य देयताएँ		1090.66		1394.46
विविध		3780.94		5948.19
<b>योग</b>		<b><u>28756.98</u></b>		<b><u>52358.47</u></b>
भुगतान के लिए मेच्युरेड सरकारी ऋण का भाग				

### टिप्पणी संख्या -10

### अल्पकालीन व्यवस्थाएँ

(अ) <u>कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था</u>				
उपदान के लिए व्यवस्था	995.50		820.44	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	726.41		807.21	
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	5.01		3.83	
अस्वस्थ अवकाश हेतु व्यवस्था	0.00		0.00	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	174.52		170.18	
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	<u>2470.20</u>	4371.64	<u>2470.20</u>	4271.86
(ब) <u>अन्य</u>				
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था		146.67		195.07
<b>योग</b>		<b><u>4518.31</u></b>		<b><u>4466.93</u></b>

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

31.03.2018

31.03.2017

टिप्पणी संख्या -11

चल परिसम्पत्तियाँ

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य हास				निबल खंड	
	01.04.18 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.18 को लागत	31.03.17 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.18 तक	31.03.18 को	31.03.17 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य मूर्त परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	253.33	0.00	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	253.33	253.33
भवन	5833.15	2.85	0.00	5336.00	5174.52	48.61	0.00	5223.13	612.87	658.63
सड़कें	266.16	0.00	0.00	266.16	252.91	0.00	0.00	252.91	13.25	13.25
प्लांट एवं मशीनरी	27601.32	329.02	0.00	27930.34	22111.15	668.74	9.88	22789.77	5140.57	5490.17
फर्नीचर एवं उपस्कर	116.51	7.67	0.00	124.18	105.29	1.79	0.00	107.08	17.10	11.22
मोटर गाड़ी	140.98	0.00	0.00	140.98	133.95	0.00	0.00	133.95	7.03	7.03
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	429.16	3.19	0.00	432.35	37.04	40.23
कार्यालय उपस्कर	174.80	1.27	0.00	176.07	162.95	1.33	0.00	164.28	11.79	11.85
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	499.04	30.59	0.00	529.63	463.88	11.58	0.00	475.46	54.17	35.16
विद्युत संस्थापनाएँ	738.41	2.72	0.00	741.13	603.55	19.06	0.00	622.61	118.52	134.86
पाइपलाइन एवं सल्यूसेस	605.43	0.00	0.00	605.43	553.99	2.16	0.00	556.15	49.28	51.44
अन्य परिसम्पत्तियाँ (अ) के लघु योग	36698.52	374.11	0.00	37072.63	29991.35	756.46	9.88	30757.69	6314.95	6707.17
लीज में दिए गए परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	25.96	(3.64)	0.00	0.00	0.00	0.00	(3.64)	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	0.00	0.00	531.43	275.65	275.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग	829.40	0.00	25.96	803.44	531.43	0.00	0.00	531.43	272.01	297.97
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2017 को प्लांट एवं मशीनरी	1412.46	0.00	0.00	1412.46	1330.19	0.00	0.00	1330.19	82.27	82.27
2017-18 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.00	(263.28)	(263.23)	0.00	0.00	(250.12)	(250.12)	(13.16)	0.00



## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

परिसम्पतियों के स्वरूप	31.03.2018				31.03.2017					
	कुल खंड			31.03.18 को लागत	मूल्य हास			निबल खंड		
	01.04.18 को लागत	योग/ समंजन	कटौती/ समंजन		31.03.17 को	वर्ष के लिए	योग/ (कटौती)	31.03.18 तक	31.03.18 को	31.03.17 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सम्पूर्ण परिसम्पतियाँ (स) के लघु-योग	1412.46	0.00	(263.28)	1149.18	1330.19	0.00	(250.12)	1080.07	69.11	82.27
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पतियाँ (अ+ब+स)	38940.38	374.11	(289.24)	39025.25	31852.97	756.46	(240.24)	32369.19	6656.06	7087.39
विगत वर्ष के आंकड़े	38630.68	432.01	38.77	39101.46	31262.22	705.04	38.75	32006.01	7087.39	

चालू अवधि मूल्यहास	756.46
पूर्वकालिन मूल्यहास	0.00
कुल मूल्यहास	756.46

<b>टिप्पणी :-</b> जमीन की स्थिती	<b>एकड़</b>
(क) झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2035.14
(ख) सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग) स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	508.44
(घ) अतिक्रमण जमीन	379.91
(ङ) लीज में दिए गए जमीन	316.19
(च) अपने यूज के लिए जमीन	3801.83
मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	7199.51

टिप्पणी संख्या -12

अमूर्त परिसम्पतियाँ

योग (अ-ब)

0.00
0.00

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

		31.03.2018			31.03.2017		
<b>टिप्पणी संख्या -13</b>		<b>पूँजीगत चालू कार्य</b>					
<b>पूँजीगत चालू कार्य</b>							
प्लांट एवं मशीनरी		1704.85			1283.64		
घटाये : व्यवस्था		782.45			1057.23		
<b>योग-</b>		<b>922.40</b>			<b>226.41</b>		
<b>टिप्पणी संख्या -14</b>		<b>गैर-चालू निवेश</b>					
<b>इक्विटी उपकरण में निवेश</b>							
(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575 (विगत वर्ष 3575)							
ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।		0.36			0.36		
<b>योग-</b>		<b>0.36</b>			<b>0.36</b>		
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है।							
<b>टिप्पणी संख्या -15</b>		<b>दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम</b>					
<b>(अ) ऋण एवं अग्रिम</b>							
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य हैं (ठेकेदारों वाहय पार्टियों को आपूर्तित तथा/समंजन निलंबिन सामग्रियों के मूल्य सहित) संदेहात्मक		कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
		526.90	526.90	0.00	459.47	459.47	0.00
<b>(ब) प्रतिभूति जमा</b>							
निजी पार्टियों के पास जमा		0.90	0.20	0.70	1.80	0.20	1.60
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		197.12	187.26	9.86	197.13	187.27	9.86
कर्मचारियों (कन्ट्रा के टिप्पणी संख्या -5)		0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76
<b>(स) अन्य</b>							
कर्मचारियों का अग्रिम		16.03	16.03	0.00	3.03	3.03	0.00
प्राप्य दावें		180.18	176.48	3.70	267.33	263.42	3.91
स्रोत पर काटे गये आयकर		7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00
<b>योग-</b>		<b>929.29</b>	<b>914.27</b>	<b>15.02</b>	<b>936.92</b>	<b>920.79</b>	<b>16.13</b>
<b>दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण</b>							
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये					0.91	0.91	
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये					14.11	15.22	
संदेहात्मक					914.27	920.79	
<b>योग</b>					<b>929.29</b>	<b>936.92</b>	
देयराशि							
निदेशक					0.00	0.00	
अधिकारी					0.00	0.00	

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018		31.03.2017	
<b>टिप्पणी संख्या -16</b>	<b>अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	19885.48		19941.75	
संदेहात्मक	9966.32		7531.40	
<b>योग (अ)</b>	<b>29851.80</b>		<b>27473.15</b>	
<b>(ब) अन्य</b>				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	27.13		470.61	
संदेहात्मक	608.60		149.96	
<b>योग (ब)</b>	<b>635.73</b>		<b>620.57</b>	
<b>लघु योग (अ+ब)</b>	<b>30487.53</b>		<b>28093.72</b>	
घटाये: संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	7220.55		5905.49	
एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था	3354.37	19912.61	1775.88	20412.35
<b>कुल योग</b>		<b>19912.61</b>		<b>20412.35</b>

- दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में 15829.49 लाख रुपया (विगत वर्ष 15617.29 लाख रु.) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

## तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

	31.03.2018		31.03.2017	
<b>टिप्पणी संख्या -17</b>	<b>वस्तुसूची</b>			
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	5528.16		6353.51	
घटाये: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	2468.27	3059.89	2275.26	4078.25
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	940.84		977.80	
घटाये: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	250.94	689.90	328.44	649.36
मार्गस्थ माल/ निरीक्षणधीन	576.82		623.38	
घटाये: व्यवस्था	213.46	363.36	178.64	444.74
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	917.57		1176.03	
घटाये: व्यवस्था	70.03	847.54	68.46	1107.57
निर्मित उत्पाद स्टॉक	2347.85		3619.68	
घटाये: व्यवस्था	25.50	2322.35	30.16	3589.52
प्रगतिशील कार्य	3125.08		2534.13	
घटाये: व्यवस्था	91.17	3033.91	103.81	2430.32
प्रगतिशील कार्य (टर्नकी प्रोजेक्ट)	193.94		518.59	
घटाये: व्यवस्था	0.00	193.94	0.00	518.59
हटाया गया परिसम्पत्तियाँ	3.48		3.48	
घटाये: व्यवस्था	3.48	0.00	3.48	0.00
कुल वस्तु	13633.74		15806.60	
घटाये: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	3122.85		2988.25	
<b>योग-</b>	<b>10510.89</b>		<b>12818.35</b>	

- टिप्पणी :-**
1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए 90.95 लाख रुपये (विगत वर्ष 79.63 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रेप दर पर किया गया है, शामिल है।
  2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के हैं, का मूल्य 2900.66 लाख रुपये (विगत वर्ष 2803.15 लाख रु.) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।
  3. मार्गस्थ सामग्री में सी.भी. ड्यूटी 5.34 लाख रुपये शामिल हैं (विगत वर्ष 18.12 लाख रु.)।
  4. शॉपफ्लोर में 205.23 लाख रु. का स्क्रेप सहित कच्चा माल एवं अवयव (विगत वर्ष 93.50 लाख रु.) शामिल है।
  5. डिपो पर पड़े हुए एफ जी में शामिल है 9.76 लाख एवं (विगत वर्ष 9.76 लाख रु.)

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018			31.03.2017		
टिप्पणी संख्या -18	व्यवसाय प्राप्य योग्य					
अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य						
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग
अप्रतिभूत प्राप्य:समझे गये	17793.02	8100.89	25893.91	7084.63	9551.72	16636.35
संदेहात्मक समझे गये	593.35	1704.94	2298.29	722.26	869.38	1591.64
लघु योग (अ)	<b>18386.37</b>	<b>9805.83</b>	<b>28192.20</b>	<b>7806.89</b>	<b>10421.10</b>	<b>18227.98</b>
(ब) अन्य						
अप्रतिभूत प्राप्य: समझे गये	121.74	4.18	125.92	166.74	0.00	166.74
संदेहात्मक समझे गये	0.50	2.32	2.82	36.48	0.00	36.48
लघु योग (ब)	<b>122.24</b>	<b>6.50</b>	<b>128.74</b>	<b>203.22</b>	<b>0.00</b>	<b>203.22</b>
योग (अ+ब)	<b>28320.94</b>			<b>18431.21</b>		
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	572.78			230.96		
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था	1728.33			1397.16		
निबल योग	<b>26019.83</b>			<b>16803.09</b>		

- टिप्पणी :- 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में सम्मिलित हैं उस प्रकार के 0.00 लाख रुपये के डिस्पैच जिनका बिल नहीं दिया गया है (विगत वर्ष 4339.76 लाख रु.)।
2. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में 1924.57 लाख (विगत वर्ष ₹ 3428.99 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

### टिप्पणी संख्या -19

#### नकद एवं नकद समकक्ष

(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	1783.54	819.01		
(ब) अपने पास रखे हुए नकद	2.57	1786.11	3.99	823.00
(स) अन्य				
बैंकों के साथ चिह्नित शेष				
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा •	2516.84	8437.37		
अन्य बैंक के साथ अल्पकालीन जमा ••	208.35	2725.19	198.35	8635.72
योग-		<b>4511.30</b>		<b>9458.72</b>

- पूंजीलाभ कर भुगतान के लिए अप्रतिभूत सरकारी अनुदान
- तीन महीने से अधिक का भूल मेच्युरिटी के साथ कोर्ट आर्डर के अनुसार अल्पकाल जमा।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2018	31.03.2017
<b>टिप्पणी संख्या -20</b>	<b>अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम</b>	
<b>(अ) ऋण एवं अग्रिम</b>		
अप्रतिभूति प्राप्त समझे गये	684.81	270.45
<b>(ब) प्रतिभूति जमा</b>		
निजी पार्टियों के पास जमा	3.40	2.34
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	1259.39	957.26
<b>(स) अन्य</b>		
कर्मचारियों का अग्रिम	38.44	51.42
पूर्वदत्त व्यय	95.29	76.89
प्राप्त दावे	456.71	1010.63
स्रोत पर काटे गये आयकर #	1025.81	983.10
	<b>लघु योग</b>	<b>3563.85</b>
घटाये: अप्राप्त एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था	52.54	53.11
	<b>योग-</b>	<b>3511.31</b>
<p># स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा सरकारी अनुदान के अनउपयोग राशि से अर्जित ब्याज 175.13 लाख रु. भारत सरकार को देय राशि में सम्मिलित है।</p> <p>अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण</p>		
प्रतिभूत प्राप्त समझे गये	1563.71	1449.04
अप्रतिभूत प्राप्त समझे गये	1947.60	1804.94
संदेहात्मक	52.54	53.11
योग	<b>3563.85</b>	<b>3352.09</b>
देय राशि		
निदेशक	0.00	0.00
अधिकारी	0.00	0.00
<b>टिप्पणी संख्या -21</b>	<b>अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ</b>	
<b>किराया एवं अन्य प्राप्त</b>		
<b>(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग</b>		
अप्रतिभूत, प्राप्त समझे गये (झारखण्ड सरकार)	12971.40	0.00
अप्रतिभूत प्राप्त समझे गये	2645.91	2711.88
संदेहात्मक	167.14	158.72
<b>(ब) किराया</b>		
अप्रतिभूत, प्राप्त समझे गये	569.71	443.28
संदेहात्मक	307.86	354.45
<b>(ब) प्राप्त ब्याज परन्तु देय नहीं</b>	1.59	1.52
	<b>योग-(अ+ब+स)</b>	<b>3669.85</b>
घटाये : संदेहात्मक प्राप्त योग्य हेतु प्रावधान	475.00	513.17
<b>निबल रकम</b>	<b>16183.31</b>	<b>3156.68</b>



**लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2017-18		2016-17	
<b>टिप्पणी संख्या -22</b>	<b>प्रचालन से राजस्व</b>			
<b>बिक्री एवं सेवाएं</b>				
उत्पादों की बिक्री	39602.38		42252.76	
सेवाओं की बिक्री	602.27		956.49	
<b>लघु योग</b>	<b>40204.65</b>		<b>43209.25</b>	
घटाये: उत्पाद कर	302.21	39902.44	4198.42	39010.83
<b>अन्य प्रचालन राजस्व</b>				
आंतरिक उपयोग के लिए जॉब	440.67		823.86	
जोड़े: अन्तर प्लांट हस्तान्तरण	0.00	440.67	0.00	823.86
<b>योग</b>	<b>40343.11</b>		<b>39834.69</b>	
<b>टिप्पणी संख्या -23</b>	<b>अन्य आय</b>			
ब्याज		27.23		113.98
किराया		1502.14		1158.89
स्टोर्स की बिक्री		29.74		34.72
विविध आय		494.38		401.20
एच टी आई से आय		25.73		35.00
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ		305.76		111.90
अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		841.55		836.45
जल एवं बिजली चार्ज		305.04		324.39
<b>योग-</b>		<b>3531.57</b>		<b>3015.93</b>
<b>टिप्पणी संख्या -24</b>	<b>सामग्री खपत लागत</b>			
कच्चा माल एवं अवयवों की खपत	12183.84		11993.85	
घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण	3375.58	8808.26	2725.57	9268.28
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	6929.80		4290.62	
घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण	928.14	6001.66	523.90	3766.72
<b>लघु योग</b>	<b>14809.92</b>		<b>13035.00</b>	

## लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	2017-18		2016-17	
<b>टिप्पणी संख्या - 25</b>	<b>चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन</b>			
	<b>चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में हास/(अभिवृद्धि)</b>			
<b>चालूकार्य</b>				
प्रारंभिक स्टॉक	3052.72		8548.29	
समापन स्टॉक	<u>3319.02</u>	(266.30)	<u>3052.72</u>	5495.57
तैयार स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	3619.68		1475.22	
समापन स्टॉक	<u>2347.85</u>	1271.83	<u>3619.68</u>	(2144.46)
<b>योग</b>		<b><u>1005.53</u></b>		<b><u>3351.11</u></b>
<b>टिप्पणी संख्या -26</b>	<b>कर्मचारी हितलाभ व्यय</b>			
वेतन, मजदूरी एवं बोनस		8561.67		8506.89
भविष्य निधि के मद में निगम				
अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड		939.82		938.19
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय		560.77		513.19
छुट्टी नकदीकरण		550.92		738.74
ग्रेच्युटी (उपदान)		<u>2052.90</u>		<u>752.27</u>
<b>लघु योग-</b>		<b><u>12666.08</u></b>		<b><u>11449.28</u></b>
घटाये: अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण		93.52		63.17
<b>योग-</b>		<b><u>12572.56</u></b>		<b><u>11386.11</u></b>
<b>टिप्पणी संख्या -27</b>	<b>वित्तीय लागत</b>			
बैंक उधार पर ब्याज		1358.79		1786.53
सरकारी ऋण पर ब्याज		921.10		825.28
अन्य ऋण पर ब्याज		389.77		632.51
<b>योग-</b>		<b><u>2669.66</u></b>		<b><u>3244.32</u></b>

**लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2017-18	2016-17
<b>टिप्पणी संख्या -28</b>	<b>मूल्य हास एवं परिशोधन व्यय</b>	
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य हास	756.46	699.47
<u>डिप्लेशन व्यय</u>		
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण	(13.16)	(4.02)
<u>परिशोधन व्यय</u>		
परिशोधन तकनीकी ज्ञान	0.00	0.00
<b>योग-</b>	<b>743.30</b>	<b>695.45</b>
<b>टिप्पणी संख्या -29</b>	<b>अनुसंधान और विकास व्यय</b>	
<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>		
वेतन एवं भत्ते	93.52	63.17
<b>योग-</b>	<b>93.52</b>	<b>63.17</b>
<b>टिप्पणी संख्या -30</b>	<b>अन्य व्यय</b>	
(अ) निर्माण सेवा लागत		
जल, ऊर्जा और इंधन	2726.65	2155.76
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
प्लांट एवं मशीनरी	265.94	226.66
बिल्डिंग	30.10	48.80
अन्य	251.09	154.52
बीमा	168.30	110.84
उत्पाद कर	(490.51)	441.12
<b>लघु योग (अ)</b>	<b>2951.57</b>	<b>3137.70</b>
(ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय		
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	1198.52	2158.89
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	751.61	940.31
वाह्य एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब	4459.43	4459.14
टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	3529.02	1615.21
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	892.52	1357.47
घटायें: अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)	1279.46	2248.46
<b>लघु योग- (ब)</b>	<b>9551.64</b>	<b>8282.56</b>

## लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

	2017-18		2016-17	
<b>(स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय</b>				
किराया		24.58		24.71
बिजली एवं पेय जल व्यय		712.35		587.21
सुरक्षा व्यय		2135.56		2273.73
यात्रा एवं सवारी भत्ता		285.84		266.13
बैंक प्रभार		170.51		139.45
टेलीफोन एवं डाक व्यय		35.23		54.71
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय		28.22		21.79
किताबें एवं आवधिक		3.78		5.63
विविध व्यय		506.31		355.53
सीईएफसी व्यय		128.14		111.75
मोटर वाहन चालन व्यय		213.53		185.66
परामर्शी एवं वैधिक व्यय		226.39		212.78
नगरपालिका कर/प्रभार		8.00		8.00
एल.डी कटौती एवं चार्जड		1892.80		1392.62
बिक्री उपरांत सेवा व्यय		0.00		0.45
बिक्री उन्नयन		340.56		317.59
अंकेक्षक पारिश्रमिक				
अंकेक्षक शुल्क	2.25		1.80	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.38		0.31	
रिम्बर्समेन्ट व्यय	0.40	3.03	0.00	2.11
प्रशिक्षण व्यय		11.39		14.67
<b>लघु योग (स)</b>		<b>6726.22</b>		<b>5974.52</b>
<b>(द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना</b>				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1881.18		1090.57	
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	67.93		0.83	
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान	10.34		11.31	
वारंटी व्यय के लिए प्रावधान	204.86		216.05	
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान	2.88		0.00	
विविध प्रावधान	330.99		568.77	
विविध हानियां बट्टे में डालना	20.62	2518.80	66.98	1954.51
<b>लघु योग - (द)</b>		<b>2518.80</b>		<b>1954.51</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स+द)</b>		<b>21748.23</b>		<b>19349.29</b>

**लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2017-18		2016-17	
<b>टिप्पणी संख्या -31</b>	<b>पूर्व अवधि समंजन</b>			
<b>आय</b>				
अंतर प्लांट हस्तान्तरण	(23.53)		(37.78)	
विविध आय	(56.39)	(79.92)	102.81	65.03
<b>घटाये: व्यय</b>				
कच्चा माल की खपत	1334.13		0.00	
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	7.79		(2.27)	
मुख्यालय लोड	0.00		(0.24)	
मूल्य हास	0.00		5.57	
विविध व्यय (शुद्ध)	3.76	1345.68	14.80	17.86
पूर्व अवधि समंजन (निवल)		(1425.60)		47.17
<b>टिप्पणी संख्या -32</b>	<b>असाधारण आइटम</b>			
<b>आय</b>				
झारखण्ड सरकार से अनुदान (पूंजी लाभकर के विरुद्ध)	6200.00		0.00	
झारखण्ड सरकार से प्राप्त विक्री विचाराधीन घटाये : व्यय	55928.40	62128.40	0.00	0.00
झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण जमीन का मूल्य		25.96		0.00
<b>निवल</b>		<b>62102.44</b>		<b>0.00</b>

## टिप्पणी संख्या 33 – “वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ”

33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई) रु. लाख में

₹ लाख में

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17															
1	ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	7149.11	89.16															
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	1469.82	2400.16															
3	असमाप्त बैंक गारंटी	15804.69	15907.36															
4	ऊर्जा शुल्क पर बिलंबित भुगतान (अपर मुख्य सचिव योजना कम वित्त, झारखण्ड सरकार द्वारा गठित कमीटी की मिटींग दिनांक 16.05.2018 को हुई, जिनमें राज्य सरकार द्वारा पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत डी.पी.एस. मद के रकम 11642.22 लाख रु. राज्य सरकार के जे.एस.ई.बी. को भुगतान करना/समंजस हेतु सिफारिश किया गया; अतएव यह आकस्मिक दायित्व नहीं है।)	0.00	11642.22															
5	जल बकाया	1094.42	1094.42															
6	पी. एफ बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु0 की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटिशन (सी एम पी) में पेटिशन सी. पी 05/2004 दायर की, इसमें पहले झारखण्ड की माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व की आदेश के खिलाफ आगे के आदेश तक, नुकसान की वसूली पर रोक लगा दी। (ब) उपर्युक्त रकम, अक्टूबर 99 से मार्च 2005 तक सी.पी.एफ	9501.54	9501.54															
7	<b>कानूनी केस :-</b> एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की परन्तु ऋण का पावती नहीं	3243.05	3258.96															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>केस</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(अ) आरवीटेशन</td> <td>360.04</td> </tr> <tr> <td>(ब) एम एस एम इ डी</td> <td>657.12</td> </tr> <tr> <td>(स) अन्य कानूनी केस</td> <td>2225.89</td> </tr> </tbody> </table>	केस	रकम	(अ) आरवीटेशन	360.04	(ब) एम एस एम इ डी	657.12	(स) अन्य कानूनी केस	2225.89									
केस	रकम																	
(अ) आरवीटेशन	360.04																	
(ब) एम एस एम इ डी	657.12																	
(स) अन्य कानूनी केस	2225.89																	
8	<b>वाणिज्य कर (वैट)</b>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>10.78</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>19.63</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>92.41</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>79.18</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	विवरण	रकम	2008-09	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	10.78	2009-10	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	19.63	2010-11	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	92.41	2011-12	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	79.18		
वर्ष	विवरण	रकम																
2008-09	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	10.78																
2009-10	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	19.63																
2010-11	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	92.41																
2011-12	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	79.18																
	<b>वाणिज्य कर (सी एस टी)</b>	1472.10	1472.10															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008-09</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>10.35</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>57.76</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>137.18</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td> <td>1064.81</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	विवरण	रकम	2008-09	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	10.35	2009-10	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	57.76	2010-11	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	137.18	2011-12	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	1064.81		
वर्ष	विवरण	रकम																
2008-09	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	10.35																
2009-10	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	57.76																
2010-11	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	137.18																
2011-12	मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	1064.81																



9	सेवा कर		1655.06	1655.06	
	1	अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 43/एस टी/कॉम/2013 दिनांक 28.03.2013)/ सी ई ए ए टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।			617.96
	2	अक्टूबर 2007 से मार्च 2010 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 59/एस टी/कॉम/2016 दिनांक 13.04.2016)/ सी ई एस टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।			816.05
3	शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23.09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	221.05			
10	उत्पाद शुल्क		1185.02	1180.18	
	1	सीनवेट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी में अपील लम्बित है।			1180.18
	2	आदेश संख्या 45/एड. का/राँची, 2017, दिनांक 30.10.2017 को सीनवेट क्रेडिट उपयोग हेतु उत्पाद शुल्क की मांग 1 आयुक्त के पास अपील लम्बित है।			4.84
योग			42574.81	48292.89	

### 33.2 पुनरुत्थान पैकेज

- (i) कम्पनी का खाता "गोइंग-कंसर्न" के आधार पर खोला गया था। बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।
- (ii) उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में लाया जाय और वाइंडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदर कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें।
- झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

**(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :-**

(7-10-2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशासित एवं 15-12-2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ) 31.03.2005 को 1527.49 लाख रु. के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब) 31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज 110101.96 लाख रु.	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स) 10200.00 लाख रुपये के गैर-योजना ऋण को 9203 लाख रुपये के बिना योजना ऋण के रूप में देना, 498.50 लाख रु. के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ 498.50 लाख रु. इक्विटी के रूप में भी।  (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।)	मार्च 2006 में कार्यान्वित
द) राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग 33000.00 लाख रु.)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने 8543.82 लाख रुपये अर्जित किए।

**ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :**

अ) योजना ऋण (582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब) 2005-06 और 2006-07 में 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को 15000.00 लाख से 253 करोड़ बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द) सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरूप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के 7906.00 लाख रु. की देनदारी का निपटारा	7906.00 लाख रुपये की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि 3790.62 लाख रु. पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।

स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की।					
अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज					करोड़ रु. में
सीसीईए	झारखंड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की गई राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि	
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु 5,00,000.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, 30637.42 लाख रु. की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	96984.68 लाख रु. कुल राशि की माफी / समायोजन किया जाना है।	85342.46 लाख (31.08.2008 तक 30637.42 लाख का बिजली बकाया और 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03.2010 तक डीपीएस के विरुद्ध 11642.22 लाख रु. माफ किया जाना है।
2	3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया 3264.80 लाख की माफी।	3264.80 लाख (माफ)	3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं
3	2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड/दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल हैं, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास 2551.00 लाख रुपये जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) 25.51 करोड़ 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
4	भविष्य में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से 25000.00 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	27551.00 लाख रुपये का अनुदान जिसमें ऊपर क्र. सं. 3 में उल्लेखित 2551.00 लाख रुपये शामिल है।	27551.00 लाख रुपये	20021.00 लाख	7530.00 लाख रुपये

5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा।
6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।

- 33.3) दिनांक 12.04.2017 को भारत सरकार द्वारा निगम की 675.43 एकड़ जमीन को 74298.00 लाख रु. में झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया। दिनांक 23.05.2018 को हस्तांतरण विलेख अनुसार 675.43 एकड़ जमीन में 508.44 एकड़ जमीन को 55928.40 लाख रु. में झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया और दिनांक 31.03.2018 तक 55928.40 लाख रु. में 42957.00 लाख रु. प्राप्त किया। शेष राशि 12971.40 लाख रु. टिप्पणी संख्या 21 में झारखण्ड सरकार से प्राप्य योग्य हेतु दर्शाया गया है। भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एच0 ई0 सी0 भूमि के हस्तान्तरण के कारण पूँजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
- 33.4) वर्ष के दौरान, 5 क्युबिक मीटर हाईड्रोलिक एक्सवेटर - एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी.एच. आई. का अनुदान राशि 250.00 लाख रु. एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2018 तक 86.71 लाख रु. का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।
- 33.5) वर्ष 2017-18 में डी.एच.आई. ने स्वच्छ अभियान हेतु 55.00 लाख रु. का अनुदान को एच.ई.सी. ने प्राप्त किया और जो राशि खर्च नहीं हो सका उक्त राशि को अलग बैंक एकाउन्ट में रखा गया है। जो चालू दायित्व के नोट संख्या 09 में दर्शाया गया है।
- 33.6) वर्ष के दौरान एचईसी ने पारस हेल्थकेयर (रॉची) प्राइवेट लिमिटेड, गुडगाँव, हरियाणा के साथ एच.ई.सी. अस्पताल चलाने हेतु पी.पी.पी. मॉडल के लिए 35 वर्ष एवं आगे 10 वर्ष तक बढ़ोतरी हेतु एक अनुबंध किया है।
- 33.7) वर्ष के दौरान, एच.ई.सी. ने एच.सी.एल द्वारा दिये गए आर्डर को पुरा करने के लिए, जिसमें स्पेयर्स निर्माण एवं सप्लाई हेतु एक वर्ष के लिए एन.सी.एल. से ऋण लिया गया है। ऋण पर ब्याज सरकारी दर पर होगा।
- 33.8) मेसर्स एन0 सी0 एल0 से लम्बित ₹ 1458.03 लाख जो विगत 20 वर्षों से लम्बित है के लिए व्यापार प्राप्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सचिव सार्वजनिक लोग उद्यम, भारत सरकार, द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा एच. ई. सी. के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस निर्णय को अतिरिक्त सचिव, कानून एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा पुष्टि कर दी गई है। इसके बाद एन. सी. एल. ने माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अतएव, उपरोक्त राशि की प्राप्ति पर कोई अनिश्चितता नहीं है। एन. सी. एल. के अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2016 को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की है तथा मामले पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। कार्यवाही प्रगति पर है।

- 33.9) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए ₹ 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किश्तों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किश्त और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।
- 33.10) 1995-96 से 31.03.2018 तक दीर्घकालीन लीज़ में 24298.26 लाख रुपयों में से 574.33 लाख रुपये लीज़ के काल के अनुपात में इस साल परिशोधित किये गये। समझौते की तारीख एवं उस हद तक वर्ष की लाभप्रदता की बढ़ोत्तरी की परवाह नहीं की गयी।
- 33.11) ऑपरेशन से राजस्व की राशि अनबिल्ड सेल सहित उत्पाद शुल्क कुल योग 0.00 लाख रुपये, बिलिंग कार्यक्रम के तहत कार्य आदेश से पार्ट सप्लाय के कारण वृद्धि (पिछले वर्ष कुल योग 2567.72 लाख रुपये) को शामिल करती है।
- 33.12) 5583.18 लाख रुपयों का इंटरप्लान्ट हस्तांतरण (पिछले वर्ष 5497.93 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।
- 33.13) 31.03.2018 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2018 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह माना गया है।
- 33.14) भारत सरकार से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 33.15) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता 1243.25 लाख रु. को चुकाने की स्थिति में नहीं है। और परिणामी देयता के लिए इस स्तर पर कोई प्रावधान जरूरी नहीं है, यदि कोई हो।
- 33.16(अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबन्ध (पिछले वर्ष 4195.85 लाख रु0) के मद्देनजर 10861.40 लाख रु0 की राशि शामिल है।
- 01.04.2003 को या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

	2017-18	2016-17
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	10861.41	4195.85
31.03.2017 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	126918.11	116056.70
प्राप्त अग्रिम की राशि	120250.20	110687.72
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	193.94	518.59
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	6667.91	3459.57
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	720.07	1564.43
आकस्मिक व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

- (ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।



(स) वर्ष के दौरान बिल विलम्ब विश्लेषण के अनुमोदित पर बी.एस.पी. (ऑर हेण्डलिंग प्लांट) 60 पैकेज को 2521.34 लाख रु. की विल को मान्यता दी गई। उक्त बिल बी.एस.पी. द्वारा दिनांक 23.03.2018 को प्राप्त किया था परन्तु उसी पुष्टि हेतु प्रतिक्षारत हैं।

33.17) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।

33.18) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
	लाख रु. में	
	2017-18	2016-17
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	727.34	2018.61
ब्याज	2077.98	1926.29
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33.19) विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।

33.20) असाधारण आय पर कर से संबंधित 630.92 लाख रु. की चालू कर व्यय।

33.21) व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.04.2017 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया	घटायें : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग	घटायें : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिवर्स किया	दिनांक 31.03.2018 को समापन शेष
1	बोनस के लिए प्रावधान	148.93	142.06	146.48	2.45	142.06
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	6601.00	1881.18	213.85	0.00	8268.33
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	3389.89	1892.81	0.00	0.00	5082.70
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	303.92	0.00	100.52	3.49	199.91



5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	155.18	32.09	0.00	0.00	187.27
6	सप्लायर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	507.26	72.18	0.00	0.00	579.44
7	विवादित केस, जॉब, इ.एम.डी, एस. डी अग्रिम, बैट, प्राप्ति हेतु व्यवस्था	0.20	0.00	0.01	0.00	0.20
8	वस्तु सूचि के लिए व्यवस्था	2988.25	134.60	0.00	0.00	3122.85
9	उपदान हेतु व्यवस्था	5155.16	1532.12	340.01	1.12	6346.15
10	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	2659.86	505.77	733.18	0.00	2432.45
11	सेवानिवृत्त यात्रा भत्ता का व्यवस्था	51.96	0.00	6.80	0.36	44.80
12	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	200.71	37.94	22.23	6.57	209.85
13	अस्वस्थ अवकाश हेतु व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	2470.20	0.00	0.00	0.00	2470.20

33.22 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

- (अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 - कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2018 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।
- (ब) 31 मार्च, 2018 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।
  - (1) **उपदान** - कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृत्ति के उपरांत उपदान स्वरूप देय होगा। उपदान की देय राशि 20 लाख तक सीमित है।
  - (2) **छुट्टी नकदीकरण** - अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृत्ति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेण्डर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।
  - (3) **भविष्य निधि** - मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12% राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।
  - (4) **सेवानिवृत्ति के बाद का फायदा** - सेवानिवृत्ति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।
  - (5) कम्पनी की योगदान वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट में लाभ हानि के विवरण पश्चात देय है। कम्पनी की भविष्य निधि ट्रस्ट को विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के धारा 17 के तहत छूट-प्राप्त हैं। ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज वैधानिक दर को माध्य से भविष्य निधि खाता में मूल्यांकन के आधार पर देय है।
  - (6) प्रोविडेन्ट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।
  - (7) लेखा मानक (ए. एस) - 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

लाख रु. में

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृत्ति यात्रा भत्ता
मार्च 31, 2018 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा			
1. तात्कालिक सेवा मूल्य	173.34	142.53	2.91
2. पूर्व सेवा मूल्य	1850.42	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	370.91	191.00	3.74
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	(372.39)	(228.04)	(12.96)
<b>कुल खर्च</b>	<b>2020.38</b>	<b>105.86</b>	<b>-6.31</b>
<b>बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)</b>			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	995.51	726.43	5.01
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5350.64	1706.04	39.79
3. अनुदान का लेखा जोखा	(6346.15)	(2432.47)	(44.80)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	6346.15	2432.47	44.80
<b>31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</b>			
1. 1 अप्रैल 2016 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	5155.16	2659.86	51.96
2. वर्तमान सेवा दर	173.34	142.53	2.91
3. ब्याज दर	370.91	191.37	3.74
4. पिछला सेवा दर	1850.42	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(831.30)	(333.25)	(0.85)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	(372.39)	(228.04)	(12.96)
7. 31 मार्च 2018 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6346.15	2432.47	44.80
<b>अनुमानित ब्यौरा</b>			
1. छूट दर	7.80%	7.80%	7.80%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.23) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है-  
विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2017 - 2018 के बारे में सूचनाएँ :-

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
राजस्व					
बाहरी बिक्री	5793.45	22699.44	548.14	10861.41	39902.44
इंटर-प्लांट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	3918.29	1199.24	906.32	0.00	6023.85
<b>कुल राजस्व</b>	<b>9711.74</b>	<b>23898.68</b>	<b>1454.46</b>	<b>10861.41</b>	<b>45926.29</b>
<b>कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)</b>	<b>11565.65</b>	<b>26274.34</b>	<b>7454.57</b>	<b>1974.98</b>	<b>47269.54</b>
ब्याज	569.97	1985.69	114.00	0.00	2669.66
<b>कुल लाभ</b>	<b>10995.68</b>	<b>24288.65</b>	<b>7340.57</b>	<b>1974.98</b>	<b>44599.88</b>
विशेष वस्तुएं	16770.73	30187.32	8944.39	0.00	55902.44

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
पूर्व के समय में हुई आमदनी	(25.49)	(1341.92)	0.00	(58.19)	(1425.60)
<b>सामान्य गतिविधियों हुआ कुल लाभ (कर पश्चात)</b>	<b>(5716.88)</b>	<b>(4497.93)</b>	<b>(1586.40)</b>	<b>2033.17</b>	<b>(9768.04)</b>
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	13986.27	39581.51	1973.21	10954.63	66495.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	137.23	363.17	108.98	0.53	609.91
अविभाजित सम्पत्ति					21142.55
कुल सम्पत्ति					88248.08
खंडों की जवाबदेही	11659.04	16908.70	1644.17	11191.56	41403.47
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					35864.95
कुल देयताएं					77268.42
पूंजी खर्च	563.56	315.55	(100.30)	0.53	779.34
अविभाजित पूंजी खर्च					1.52
कुल पूंजी खर्च					780.86
मूल्यहास	573.50	111.09	17.42	1.23	703.24
अविभाजित मूल्यहास					53.22
कुल मूल्यहास					756.46

33.24) ICAI द्वारा वित्तीय मानक -18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है -  
संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)

	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	श्री अविजीत घोष सीएमडी	04 / 2017-03 / 2018	30.30	3.40
2	श्रीमती अरुन्धती पंडा निदेशक (वित्त)	12 / 2017-03 / 2018	7.15	0.81
3	श्री मृदुल कुमार सक्सेना निदेशक (पर्सनल) 24.07.14 तक	12 / 2017-03 / 2018	5.64	0.70
4	श्री राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन)	01 / 2018-03 / 2018	4.83	0.39
		<b>कुल</b>	<b>47.92</b>	<b>5.30</b>

उपरोक्त के अलावा उन्हें घर, कार इत्यादि रियायती दर पर मिलता है।

33.25) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।

33.26) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।

33.27) 31.03.2017 को कम्पनी का नेटवर्थ नगैटिव था अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एएनडी ए.एस लागू नहीं है।

33.28) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके।

33.29 अतिरिक्त सूचना


		चालू वर्ष		रु. लाख में	
		शून्य		विगत वर्ष	
		शून्य		शून्य	
अ.	1. उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 60,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 5,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था।				
अ.	2. लेखा परीक्षक व्यय				
	(i) सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2.25		1.80	
	(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.38		0.31	
	(iii) व्यय की प्रतिपूर्ति	0.40		0.00	
(ब)	कच्चे माल, अवयवों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य (तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता			रु. लाख में	
		2017 - 18		2016 - 17	
(ए)	कच्चे माल	मूल्य	%	मूल्य	%
	(1) आयातित	3876.11	31.81	1819.73	15.17
	(2) स्वदेशी	8307.73	68.19	10174.12	84.83
	योग	<b>12183.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11993.85</b>	<b>100.00</b>
(बी)	भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)				
	(1) आयातित	24.14	0.68	64.52	2.87
	(2) स्वदेशी	3520.11	99.32	2179.79	97.13
	योग	<b>3544.25</b>	<b>100.00</b>	<b>2244.31</b>	<b>100.00</b>
टिप्पणी : निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर					
(स)	सी.आई.एफ. के आधार पर आयात का मूल्य				
	कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे, जी.आई.टी				
	अवयव	3240.78		1085.33	
	पूजीगत वस्तुएँ	0.00		0.00	
	योग	<b>3240.78</b>		<b>1085.33</b>	


एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।


(द) विदेशी मुद्रा में व्यय


विदेश यात्रा-भत्ता	विदेश यात्रा भत्ता	20.35	17.12
<b>योग</b>	<b>योग</b>	<b>20.35</b>	<b>17.12</b>

33.30) नोट संख्या 1 से 33 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग है।


  
(ए. के. कंट)  
कम्पनी सचिव

  
(आर. के. श्रीवास्तव)  
उप महाप्रबंधक (वित्त)

  
(अरुन्धती पंडा)  
निदेशक (वित्त)

  
(अविजित घोष)  
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कृते वी. के. जिन्दल एवं कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

  
(सी. ए. आर. एस. अग्रवाल)  
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081  
फर्म पंजीयन सं. - 001468C

स्थान - राँची

दिनांक - 30.06.2018